

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 13]

नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 29, 1975 (चैत्र 8, 1897)

No. 13] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 29, 1975 (CHAITRA 8, 1897)

इस भाग में भिन्न पृट्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compliation.

नोटिस

NOTICE

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत 7 मार्च 19 75 तक प्रकाशित किए गए हैं— . The undermentioned Gazettes of India Extraordinary were published up to the 7th March 1975 :—

धंक Issue	संख्या और तिषि No. and Date	द्वारा जारी किया गया Issued by	ज़िल्य Subject
44.	28 फरवरी, 1975	वित्त मन्द्रालय	28 फरवरी, 1975 को दिया गया बजट 1975- 76 संबन्धी वित्त मन्त्री का भाषण ।
	28th February, 1975	Ministry of Finance	Speech of Minister of Finance on Budget 1975-76 made on 28th February, 1975.
45.	सं अतिश्रदायगी/पी० एन०-35/75, सं अतिश्रदायगी/पी० एन०-36/75, सं अतिश्रदायगी/पी० एन०-37/75, सं अतिश्रदायगी/पी० एन०-38/75 श्रौर सं अतिश्रदायगी/पी० एन०-39/75 सब दिनांक 1 मार्च, 1975	वित्त मन्द्रालय	सार्वजिनक-सूचना सं० प्रतिग्रदायगी/पी० एन०-1 दिनांक 15 श्रक्तूबर, 1971 में प्रकाणित सारणी में उपक्रमांक 5008, 5005, 4611, 4804 श्रौर 5006 की उपमद (घ) तथा उन सबसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर प्रतिस्थापन ।
	No. DRAWBACK/PN-35/75, No. DRAWBACK/PN-36/75, No. DRAWBACK/PN-37/75, No. DRAWBACK/PN-38/75 and No. DRA PN-39/75 all dated the Ist March, 1975	Ministry of Finance WBACK/	Substitutions for sub-serial No s 5008, 5005, 4611, 4804 and sub-item (d) o sub-serial No. 5006 and the entries r e lating to them in the table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1 dated the 15th October, 1971.
46.	सं० 19-म्राई० टी० सी० (पी० एन०)/75 दिनांक 3 मार्च, 1975	वाणिज्य मंत्रालय	ग्रप्रैल 1974-मार्च/1975, अवधि के लिये यथा लागू 1973-74 श्रवधि के लिये संस्थापित ग्रायातकों को जारी क्षिये गये कोटा लाइसेंस के संबंध में श्रावृत्ति परिचालन ।

कपर लिखे असाधारण राजपत्नों की प्रतियां प्रकाशन नियंत्रक सिविल लाईन्स, दिल्ली के नाम मौग पत्न भेजने पर भेज दी जाएंगी । मांगपत्न नियंत्रक के पास इन राजपत्नों के जारी होने की तिथि से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिएं।

Copies of the Gazettes Extraordinary mentioned above will be supplied on indent to the Controller of Publications, Civil Lines, Delhi, Indents should be submitted so as to reach the Controller within ten days of the date of issue of these Gazettes.

(287)

अंक Issue		रा जारी किया ग Issued by	,,,,,
10000		Ministry of Commo	Subject Perce Repeat operation in respect of quota licences issued to established importers for the period 1973-74 as applicable to April 1974—March 1975.
47.	सं० प्रतिश्रदायगी/पी० एन०-40/75, सं० प्रतिश्रदायगी/पी० एन०-41/75 तथा सं० प्रति श्रदायगी/पी० एन०-42/75 सब दिनांक 5 मार्चे, 1975	वित्त मंद्रालय	सार्वजिनक सूचना सं० प्रतिग्रदायगी/पी० एन०-1 दिनांक 15 श्रक्तूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में उपक्रमांक 1927, 1928, 4615, 4616 तथा 5007 श्रौर तत्संबंधी प्रविष्टियों के स्थान पर प्रतिस्थापन ।
	No. DRAWBACK/PN-40/75, No. DRAWBACK/PN-41/75 and No. DRAW BACK/PN-42/75 all 5th March, 1975.	Ministry of Fina	Substitutions for sub-serial Nos. 1927, 1929, 4615, 4616 and 5007 and the entries relating thereto in the table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-I dated the 15th October, 1971.
48.	सं० 7-ई० टी० सी० (पी० एन०)/75 दिनांक 7 मार्च, 1975	वाणिज्य मंत्रालय	भारत सरकार द्वारा बांगलावेश के लिए बढ़ाये गये 10 करोड़ पण्य वस्तु ऋण (1974) के प्रति निर्यात ।
	No. 7-ETC (PN)/75 dated the 7th March, 1975	Ministry of Co	mmerce Export against commodity Credit of Rs. 100 Million (1974) extended by the Govt. of India to the Govt. of Bangla Desh.
		विषय-स	नुषी
; ;	I—खर 1—(रक्षा मंद्रालय को छोड़ हर) भारत सरकार के मंद्रालयों श्रौर उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा श्रादेशों श्रौर संकल्पों से सम्बन्धित श्रधिसूचनाएं	पृष्ठ 287	जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें पृष्ठ साधारण प्रकार के ग्रादेश, उप-नियम प्रांव सम्मिलित हैं) 997 भाग II—संड 3—उपसंड (ii)—(रक्षा मंद्रा-लय को छोड़कर) भारत सरकार के मंद्रालयों
माग ! :	I—-श्वंड 2——(रक्षा मद्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों ग्रौर उच्चतम त्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी ग्रफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों,		लयं का छाड़कर) भारत सरकार के महालया भौर (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा विधि के भ्रन्सर्गेक्ष बनाए भौर जारी किए गए भादेश भौर भधिसूचनाएं 1227
माग	हुट्टियों ग्रावि से सम्बन्धित ग्रधिसूचनाएं . Iखंड 3रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की ाई विधित्तर नियमों, विनियमों, ग्रादेशों	481	भाग II - खंड 4 - रक्षा मंत्रालय द्वारा श्रधि- सूचित विधिक नियम भौर श्रादेश : 245 भाम III - खंड 1 - महालेखा परीक्षक, संघ लोक-
भाग	प्रौर संकल्पों से सम्बन्धित श्रधिसूचनाएं . l——खंड 4——रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई श्रफसरो की नियुक्तियो, पदोन्नसियो,		सेवा म्रायोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों भौर भारत सरकार के म्रधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई म्रधिसूचनाएं . 2381
प्राग ्र	थुट्टियो श्रादि से सम्बन्धित श्रधिसूचनाएं . IIखंड 1ग्रधिनियम, श्रध्यादेश ग्रौर	449	भाग III—खंड 2—एकस्य कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई श्रिष्ठसूचनाएं ग्रीर नोटिस 185
माग :	विनियम ,		भाग III— खंड 3 मुख्य श्रायुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई ग्रिधिसूचनाएं 5
भाग I	ावर समितियों को रिपोर्ट .I—खंड 3—उपखंड (i)—(रक्षा मत्नालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंद्रा-		भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विधिक श्रिधसूचनाएं जिनमे श्रिध- मूचनाएं, श्रादेश, विज्ञापन श्रीर नोटिस शामिल हैं . 1113
â	लयों भ्रौर (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी किए गए विधि के भ्रन्तर्गत बनाए भ्रौर		सामिल हु 1113 भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों घीर गैर- सरकारी संस्थाघों के विज्ञापन तथा नोटिस 49

	CONT	TENTS	
PART I—SECTION I.—Notifications relating to Non- Statutory Rules. Regulations. Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the	PAGE	(other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	Pa ge 99 ₇
Ministry of Defence) and by the Supreme	287	PART II—SECTION 3.—SUB. SEC. (ii).—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India	
PART I—Section 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Minis-		(other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	122 7
tries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	481	PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence	245
PART I—Section 3.—Notifications relating to Non- Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	~	PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	2381
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	449	PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Offices, Calcutta	185
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations		PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	5
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills		PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory	
PART II—Section 3.—Sub. Sec. (i).—General Statutory Rules (including orders, bye-laws		Bodies	1113
etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India		PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	49

भाग I खंड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम ग्यायालय द्वारा आरी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसुचनाएं

Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Supreme Court

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 जनवरी 1975

- सं० 13-प्रेज/75—राष्ट्रपति निम्नलिखित व्यक्तियों को उनकी ग्रति असाधारणविशिष्ट सेवा के उपलक्ष्य में "परम विशिष्ट सेवा मैंडल" प्रदान करने का सहर्ष श्रनुमोदन करते हैं:—
- 1. लेफ्टिनेन्ट जनरल बृजमोहन नारायण दास (ग्राई० सी० 411) इन्जीनियर्स ।
- 2. लेफ्टिनेन्ट जनरल मोहिन्द्र सिंह सन्धू (श्राई० सी० 813) ए० श्रो० सी०।
- 3. एयर मार्शेल ऋषिकेश मूलगावकर, एम वी० सी० (1644) उड़ान (पायलट) ।
- 4. मेजर जनरल मनोहर सदाणिव पाटणकर (श्राई० सी० 1087) इन्फैन्ट्री (सेवा निवृत)।
- 5. मेजर जनरल रघुनाथ सिंह हृत (एम० म्रार० 235) ए० वी० एस० एम०, ए० एम० सी०।
- 6. मेजर जनरल भास्कर महादेवन (एम० ग्रार० 245) ए० वी० एस० एम०, ए० एम० सी० ।
- 7. मेजर जनरल ईक्ष्वर चन्द कटोच (श्राई० सी० 631)इन्फैन्ट्री (सेवा निवृत)।
- 8. मेजर जनरल जसबीर सिंह बावा (ग्राई० सी० 438) ए० वी० एस० एम०, इन्जीनियर्स ।
- 9. मेजर जनरल कृष्ण दत्त विशष्ट (ग्राई० सी० 627) ग्रार्टीलरी, (सेवा निवृत)।
- 10. मेजर जनरल श्रमरीक सिंह (ग्राई० सी० 408)
 भार्टीलरी (सेवा निवृत) ।
- 11. मेजर जनरल हरकेश चन्द्र गहलौट (श्राई० सी० 911) इन्फैन्ट्री ।
- 12. मेजर जनरल राजेन्द्र प्रसाद (श्राई० सी० 684) श्राटींलरी।
- 13. मेजर जनरल श्याम सुन्दर कौल (ब्राई० सी० 2798) इन्फैन्ट्री ।
- 14. मेजर जनरल रणजीत सिंह चोपड़ा (म्राई० सी० 3315) म्रार्मड कोर।
- 15. मेजर जनरल श्रोम प्रकाश दत्ता (श्राई० सी० 857) ए० वी० एस० एम०, इन्जीनियर्स ।

- सं० 14-प्रेज / 75—-राष्ट्रपति निम्नांकित व्यक्तियों को उन की श्रसाधारण विशष्ट सेवा के उपलक्ष्य में ''अति विशिष्ट सेवा मंडल'' प्रदान करने का सहर्ष श्रनुमोदन करते हैं :---
- 1. क्रिगेडियर बलराज बिहारी माथुर (म्राई० सी० 5012) ए० म्रो० सी० (सेवा निवृत) ।
- 2. ब्रिगेडियर जगदीश चन्द्र हान्डा (श्राई०सी० 1527) ए० श्रो० सी०।
- 3. ब्रिगेडियर कोदण्ड मेदप्पा कारियप्पा (म्राई० सी० 1130) इन्फन्दी ।
- 4. त्रिगेडियर जोसेफ जॉन डेनिस लोबो (एम० श्रार० 318) ए० एम० सी०।
- 5. ब्रिगेडियर तॉमस सत्य दास (एम० ब्रार० 316) ए० एम० सी० ।
- 6. त्रिगेडियर पोथेरीछेस्वारी बालाकृष्णन (ग्राई० सी० 4687) इन्टेंलीजेन्स कोर (सेवा निवृत)।
- 7. ब्रिगेडियर नरेन्द्र सिंह (ग्राई० सी० 1221) गढ़वाल राईफल्स ।
- 8. ब्रिगेडियर करिम्पट शंकर मेनोन (आई० सी० 5487) ए० ई० सी० (सेवा निवृत)।
- 9. त्रिगेडियर शरत् चन्द्र दास (ग्राई० सी० 1474) ए० श्रो० सी० (सेवा निवृत)।
- 10. त्रिगेडियर नारायण अकरम पाटिल (ब्राई० सी० 1520) सिगनल्स (सेवा निवृत)।
- 11. त्रिगेडियर राजिन्द्र पाल सैंगल (श्राई० सी० 1131) इन्फैन्ट्री (सेवा निवृत)।
- 12. त्रिगेडियर जोसेफ विक्टर पिन्टो (श्राई० सी० 649) सिगनल्स (सेवा निवृत)।
- 13. त्रिगेडियर ग्रर्जुन देव श्रग्रवाल (ग्राई० सी० 4204) ई० एम० ई० (सेवा निवृत)।
- 14. ब्रिगेडियर केवल कृष्ण खन्ना (भ्राई० सी० 1332) श्रार्टीलरी (सेवा निवृत)।
- 15. क्रिगेडियर पन्ना लाल चटर्जी (म्राई० सी० 1366) ए० म्रो० सी० (सेवा निवृत)।
- 16. ब्रिगेडियर श्रजित कुमार मित्र (श्राई० सी० 3338) इन्फैन्टी ।

- 17. क्रिगेडियर वेलु पिल्लै कृष्णन् नायर (श्राई० सी'० 3209) ग्रार्टीलरी ।
- 18. ब्रिगेडियर मनोहर सिंह उबेराय (श्राई० सी० 1353) श्राटींलरी ।
- 19 ब्रिगेडियर कृष्ण स्वामी श्रीनिवासन (म्राई० सी० 2722) म्रार्टीलरी।
- 20. ब्रिगेडियर गुरबचन सिह (भ्राई० सी० 2541) श्रार्टीलरी।
- 21. क्रिगेडियर गोपाल सीता राम वाकणकर (श्राई० सी० 532) श्रार्टीलरी।
- 22. त्रिगेडियर श्री कृष्ण बन्ना (स्नाई० सी० 1218) सिगनल्स।
- 23 त्रिगेडियर हरनाम सिंह (म्राई० सी० 2923) ए० एस० सी०।
- 24. ब्रिगेडियर शान्ति नारायण पंडित (ब्राई० सी० 3269) ए० ग्रो० सी०।
- 25. ब्रिगेडियर परमानन्द (ग्राई० सी० 6318) ई० एम० ई०।
 - 26. ब्रिगेडियर ग्रजीत सिह (ग्राई० सी० 1524) सिगनल्स
- 27. त्रिगेडियर श्रमर सिंह (ग्राई० सी० 2905) ए० एम० सी० ।
- 28. क्रिगेडियर श्री पति दत्त (ग्राई० सी० 855) ए० ग्रो० मी०।
- 29. कमोडोर राधाकृष्ण हरिराम टाहिलियानी (एक्स) (00050-एन) भ्राई० एन०।
- 30. कमोडोर लक्ष्मी दत्त तिवारी (एल) (50007-ए) श्राई० एन० ।
- 31. कमोडोर राम कुमार चोपड़ा (एस) (60005-जैड) स्राई० एन० ।
 - 32. एयर कमोडोर देवेन्द्र नाथ गुप्ता (2703) चिकित्सा।
- 33. एयर कमोडोर वाल्टर जोसफ फर्नान्डिस (2713) उड़ान (पायलट) ।
- 34. कर्नल (कुमारी) तंकम्मा सखरिया (एन० श्रार० 17225) एम० एन० एस० (सेवा निवृत) ।
- 35. कर्नल रामप्रकाण गोकल चन्द साहनी (श्राई० सी० 1596) श्रार्टीलरी।
 - 36. कर्नल हरगुलाल (ग्राई० सी० 6068) ग्रार्टीलरी ।
- 37. कैप्टेन पडवुपुराक्कल चान्डी एण्ड्रजू, बीर चक (एक्स) (00045-ए) म्राई०एन०।
- 38. केंप्टेन क्रुष्ण लाल चौपड़ा, वि० एस० एम० (एक्स) (00068-बी) ग्राई० एन०।
- 39. कैप्टेन गोपाल चन्द्र मिल्ला (एफ) (40015-टी) आई० एन०।

- 40. सर्जन कैप्टन जेम्ज थामस मार्शल (75004-एन) श्राई० एन० (सेवा निवत)।
- 41. सर्जन कैप्टेन मल्लाप्रगढा चिन्ना रामालिनोश्वर राव (75011-बी) श्राई० एन० ।
- 42. ग्रुप कैप्टेन पीटर डेनिस एन्टनी म्रल्बुकर्क (3813) ए० ई० (एल) ।
- 43. ग्रुप कैप्टेन कंवर कृष्ण बाली (3816) ए० ई० (एल)।
- 44. ग्रुप कॅंप्टेन सनत कुमार मिन्ना (3870) उड़ान (पायलट) ।
- 45. ग्रुप कैंप्टेन मन मोहन सिंह, वीर चक्र (4023) उड़ान (पायलट) ।
- 46. लेफ्टिनेन्ट कर्नल प्रेम प्रकाश सुभरवाल (श्राई० सी० 7747) इन्जीनियर्स ।
- 47. विग कमांडर पार्थ कुमार छे (4404) उड़ान (पायलट) ।
- 48. विंग कमांडर इन्दरजीत सिंह सन्धू (4790) उड़ान (पायलट) ।
- सं० 15-प्रेज/75—राष्ट्रपति निम्नांकित व्यक्तियों को उनकी उच्चकोटि की विशिष्ट सेवा के उपलक्ष्य में "विशिष्ट सेवा मैंडल" सहर्ष प्रदान करने का श्रनुमोदन करते हैं :—
- कर्नल रणजीत कुमार गुप्ता (एम० श्रार० 707) ए० एम० सी० (सेवा निवृत) ।
- 2. कर्नल गोडिवाला गेव सोराबजी (एम० श्रार० 292) ए० एम० सी० (सेवा निवृत) ।
- 3. लेफ्टिनेन्ट कर्नल (आनरेरी कर्नल) मूलचन्द श्रीवास्तव (टी० ए० 40317) भ्रार्टीलरी (टी० ए०)
- 4. लेफ्टिनेन्ट कर्नल एल० ए० पी० सिक्वेरा (श्राई० सी० 7387) ग्रार्टीलरी ।
- 5. लेफ्टिनेन्ट कर्नल कृष्ण स्वरुप खुराना (म्राई० सी० 6789) इन्जीनियर्स ।
- तेपिटनेन्ट कर्नल श्रोम प्रकाण शर्मा (श्राई० सी० 5928) राज० राईफल्स ।
- 7. लेफ्टिनेन्ट कर्नल हरगोबिन्द सिंह (श्राई० सी० 7004) महार ।
- लेफ्टिनेन्ट कर्नल पुरशोत्तम कुमार खन्ना (एम० ग्नार० 979) ए० एम० मी० ।
- 9. लेपिटनेन्ट कर्नल हरि नाथ सेठ (एम० ग्रार० 634) ए० एम० सी०।
- 10. लेपिटनेन्ट कर्नल कुंबर मलकीयत सिंह पंवार (श्राई० सी० 1771) ए० ग्रो० सी० (सेवा निवृत)।
- 11. लेफ्टिनेन्ट कर्नल धरम बीर नायर (डी० श्रार० 10014) श्रामीं डेन्टल कोर ।

- 12. लेफ्टिनेन्ट कर्नल मनबेन्द्रा किशोर पाल (ग्राई० सी० 7959) इन्जीनियर्स ।
- 13. लेफ्टिनेन्ट कर्नल श्रोमबीर सिंह (ग्राई० सी० 6401) इन्जीनियर्स ।
- 14. कमांडर चिट्टाघाट स्टेन्ले जॉन (इ) (40097-बी०) भाई० एन०।
- 15. कमांडर श्रचन्ता बैन्कट रामा नारायण राव (50077-के) श्राई० एन०।
- 16. कमांडर-एट-म्राम्सं कुन्दन लाल (एम्स) (00244-भी०) श्राई० एन०।
- 17. सर्जन कमांडर सुरेन्द्र नाथ लूथरा (डी) (79003ए) भाई० एन० ।
 - 18. विंग कमांडर कृष्ण मुरारी ऋषि (3986) लेखा ।
 - 19. विंग कमांडर बन बिहारी भट्टाचार्जी (3999) शिक्षा।
- 20. विंग कमांडर गौरीशंकर नारायण बेन्दुर (4064) ए σ ई० (एम)।
 - 21. विंग कसांडर विनय कुमार वैश्य (4184)परिभारिकी ।
- 22. विंग कमांडर रथीन्द्र नाथ सेन (4374) ए० ई० (एल)।
 - 23 विंग कमांडर धर्म सिंह गुप्ता (4643) शिक्षा ।
 - 24. विग कमांडर क्षोणीश चन्द्र सिन्हा (4856) चिकित्सा 1
- 25. मेजर राम कृष्ण राय (म्राई० सी० 14239) राज राइफल्स ।
 - 26. मेजर नरेन्द्र बाहरी (श्राई० सी० 12029) गार्डस ।
- 27. मेजर (कुमारी) ग्रीटा सिल्वा (एन० म्रार० 12167) एमः एम० एस० ।
- 28. लेफ्टिनेन्ट कमांडर विजय कुमार तुली (एक्स) (00349 टी) म्राई० एन०।
- 29. लेफ्टिनेन्ट कमोडर मेहर सिंह (\$) (40091 म्रार) मा\$० एन०।
- 30. लेफ्टिनेन्ट कमांडर (एस० डी० एम० ई०) कृष्णा सदाधिव दुर्गे (85006 डब्ल्यू) श्राई० एन०।
- 31. लेफ्टिनेन्ट कमांडर (एस०डी०एस०) छविकन्गल नारायणन (88502 म्रार) म्राई० एन०।
- 32. स्कवाद्रन लीडरहर्ष कुमार कौशल (5547) ए० ई० (एल०)।
 - 33. स्क्वाड्रन लीडर मृणाल कान्ति सोम (5637) प्रशासन ।
 - 34. स्क्वाड्रन लीडर भ्रोम दक्त गर्मा (5816) परिभारिकी
- 35. कैप्टन (कुमारी) इन्दू श्याम राव खेडेकर (एन० ग्रार० 12995) एम० एन० एस० ।
- 36. कैप्टन पद्मनाभन नायर पूक्कोट मढम (एस० एल० 674) सिगनल्स ।

- 37. लेफ्टिनेन्ट रविन्द्र कुमार (इ.डी.) (70106-एफ.) ग्राई० एन०।
- 38. लेफ्टिनेन्ट (एस० डी० पी०) गुरचरन दास शर्मा (86816-एच) श्राई० एन०।
- 39. पलाइट लेपिटनेन्ट प्रशान्त कुमार मुखर्जी (7324) ए० ई० (एम)।
- 40. परमेवश्रन् नायर एम० सी० पी० म्रो० I (टी० ए $oldsymbol{\phi}$ एस $oldsymbol{\circ}$ -I) 18671, श्राई० एन० I
- 41. कोन्डापुरथ रामनकुट्टी नायर, एम० सी॰ पी॰ म्रो॰ (कुक) I, 26943, म्राई॰ एन०।
- 42 29565 मास्टर वारंट श्रफसर माधवी बेंकटराम वैद्य, क्लर्क/जी०डी०।
- 43. 45089 मास्टर वारंट ग्रफसर जान बाल चन्द्रन, जी० टी० श्राई०।
- 44 204098 मास्टर वारंट श्रफसर महा सिंह दहिया, राडार मैंक।
- 45. जे० सी० 53553 सुबेदार फुमन सिंह, सिख साईट इल्फेन्ट्री ।
- 46. जे० सी० 53673 सुबेदार शेर सिंह, इन्जीनियरर्स रेजीमेन्ट ।
- 47. रामानाथन सोमासुन्द्रम, नटराजन, सी० पी० स्रोक (एम० ई०) 60455, श्राई० एन० ।
 - 48. 18718 वारंट श्रफसर मृत्यु मार्क श्रोलिवर, फिटर I
 - 49. 31684 वारंट श्रफसर दीवान चन्द, फिटर I
- 50. 47308 वारंट श्रफसर एलमकुलयुनारायणन नामा, ए० सी० एच०/जी० डी० ।
 - 51. 204133 फ्लाइट सार्जेन्ट सेन दास, इन्स्टू० रिप० I
 - 52. 236722 सार्जेन्ट देव प्रसाद राय, राडार मैक ।
- 53. 250805 कार्पोरल कैप्पिली राधाकृष्णन, फिटर II ए०।

दिनांक 19 मार्च 1975

र्सं० 16-प्रेज/75—26 जनवरी, 1969 की ग्रिधिसूचना संख्या 18-प्रेज/69 द्वारा विगक्षमांडर सुरज प्रकाण दल (3649), जनरल ड्यूटी (पाइलट), को दिया गया वायु सेवा मैडल पुरस्कार एतद् द्वारा रद्द किया जाता है।

कु० बालचन्द्रन् राष्ट्रपति के सचिव

मंत्रीमण्डल सचिवालय

कामिक और प्रशासनिक सुधार विभाग

नंई दिल्ली-110001, दिनांक 29 मार्च 1975

सं० 5/25/74-सी० एस० (I) — कार्मिक श्रीर प्रशासनिक सुधार विभाग की श्रिधिसूचना सं० 5/25/74- सी० एस० (I)

दिनाक 22-6-1974 के अन्तर्गत अधिसूचित और भारत के दिनांक 26-6-1974 के राजपत्न में प्रकाशित अनुभाग अधिकारी ग्रेड को सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा, 1975 के नियमों का शृद्धिपत्न ।

- (1) नियमों का नियम 4 निम्न प्रकार पढ़ा जाएगा :-
 "4. केन्द्रीय सिचवालय सेवा के सहायक/ग्रेड अथवा
 केन्द्रीय सिचवालय आगुलिपिक सेवा के ग्रेड II का कोई
 स्थायी अथवा नियमित रूप से नियुक्त ग्रस्थायों ग्रिधिकारी,
 जो 1 जनवरी, 1975 को निम्नलिखित शर्तें पूरी करता
 हो, इस परीक्षा में बैंटने का पात्र होगा :--
- (1) सेबा-अषधि :- उसने केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायक ग्रेड में अथवा केन्द्रीय सचिवालय भ्रागुलिपिक सेवा के ग्रेड II में, या दोनों में जैसी भी स्थिति हो, कम से कम 5 वर्ष की अनुमोदित श्रौर लगातार सेवा पूरी कर ली हो ।
- टिप्पणी :-केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायक ग्रेड श्रथवा केन्द्रीय सचिवालय श्राणुलिपिक सेवा के ग्रेड II का कोई स्थायी श्रयवा नियमित रूप से नियुक्त श्रस्थायी श्रधिकारी, जिसने 26-10-1962 को जारी की गई श्रापात काल की उद्घोषणा के प्रवर्तन काल में, श्रयित 26-10-1962 से 9-1-68 तक सणस्त्र सेना में प्रवेश किया है, उसे सणस्त्र सेना से प्रत्यावर्तन पर श्रपनी सेवा की श्रवधि (प्रशिक्षण की श्रविध सहित, यदि कोई है) को श्रपनी निर्धारित न्युनतम मेवा में जोड़ने की ग्रनुमति दी जायेगी।
 - (2) आयु:
 - (क) उसकी श्रायु 45 वर्ष से श्रधिक नही होनी चाहिए
 श्रथीत् उसका जन्म 1-1-1930 से पहले न हुन्ना हो ।
 - (ख) ऊपर निर्धारित ग्रायु सीमा में केन्द्रीय सिचवालय सेवा के सहायक ग्रेड ग्रथवा केन्द्रीय सिचवालय ग्राणुलिपिक मेवा के ग्रेड II की श्रेणी में उन स्थायी ग्रथवा नियमित रूप से नियुक्त श्रस्थायी ग्रधिकारियों के मामले में जिन्होंने 26-10-1962 को जारी की गई श्रापानकाल की उद्-घोषणा के प्रवर्तन काल में श्रर्थात 26-10-1962 से 9-1-68 तक सणस्त्र सेना में नौकरी की है श्रौर वहां से प्रत्यावर्तित हो गए हैं, तो मणस्त्र सेना में ग्रपनी सेवा को श्रवधि (प्रणिक्षण, श्रवधि समेत यदि कोई हो) तक को छूट दी जाएगी ।
 - (ग) ऊपर निर्धारित श्रायु सीमा में निम्नलिखित मामलों में स्रौर श्रिधिक छूट दी जाएगी ।
 - (i) यदि कोई उम्मीदवार किमी श्रनुमूचित जाति श्रथवा किमी श्रनुसूचित श्रादिम जाति से संबंधित हो तो प्रधि-कतम 5 वर्ष तक.
 - (ii) यदि कोई उम्मीदवार भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से वास्तिविक विस्थापित व्यक्ति हो श्रीर उसने 1 जनवरी, 1964 को या उसके बाद परन्तु 25 मार्च, 1971 से पहले भारत प्रव्रजन किया हो तो ग्रीधकतम 3 वर्ष तक,

- (iii) यदि कोई उम्मीदवार किसी श्रनूसूचित जाति श्रथवा अनुसूचित श्रादिम जाति से संबंधित हो श्रौर भूतपूर्व पाकिस्तान से वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो श्रौर उसने 1 जनवरी 1964 को या उसके बाद परन्तु 25 मार्च, 1971 से पहले भारत प्रश्नजन किया हो तो श्रधिकतम 8 वर्ष,
- (iv) यदि कोई उम्मीदवार संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी का निवासी हो ग्रीर किसी ग्रवस्था पर उसने फेंच भाषा के माध्यम से णिक्षा पाई हो तो ग्रधिकतम 3 वर्ष तक ।
- (v) यदि कोई उम्मीदवार गोवा, दमन तथा दीव संघ राज्य क्षेत्र का निवासी हो, तो ऋधिकतम 3 वर्ष तक,
- (vi) यदि कोई उम्मीदवार श्री लंका (पहले सीलोन के नाम से विख्यात) से भारतीय मूल का वास्तविक देश प्रत्यावितत व्यक्ति हो ग्रीर ग्रक्टूबर, 1964 के भारत लंका समझौते के ग्रधीन उसने 1 नवम्बर, 1964 के भारत-लंका समझौते के अधीन उसने: 1 नवम्बर, 1974 ग्रथवा उसके बाद भारत प्रव्रजन किया हो तो ग्रधिकतम 3 वर्ष तक.
- (vii) यदि कोई उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित आदिम जाति से संबंधित हो और श्री लंका (पहले सीलोन के नाम से विख्यात) से भारतीय मूल का वास्तविक देश प्रत्यातित व्यक्ति भी हो और अक्टूबर,-1964 के भारत लंका समझौते के अधीन उसने 1 नवम्बर 1964 को अथवा उसके बाद भारत प्रव्रजन किया हो तो अधिकतम 8 वर्ष तक,
- (viii) यदि कोई उम्मीदवार भारतीय मूल का हो श्रौर उसने केन्या, उगाण्डा श्रथवा तंजानिया संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व-टांगानिका तथा जंजीबार) से प्रश्नजन किया हो तो श्रधिकतम 3 वर्ष तक,
- (ix) यदि कोई उम्मीदक्षार बर्मा से भारतीय मूल का वास्तविक देश प्रत्यार्तित व्यक्ति हो और उसने 1 जून, 1963 को भ्रथवा उसके बाद भारत प्रवजन किय हो तो अधिकतम 3 वर्ष तक,
- (x) यदि कोई उम्मीदवार ध्रनुसूचित जाति अथवा ध्रनु-सूचित घ्रादिम जाति से संबंधित हो ध्रौर वर्मा से भारतीय मूल का वास्तविक देश प्रत्यावर्तित व्यक्ति भी हो घ्रौर उसने 1 जून, 1963 को श्रथवा उसके बाद भारत प्रव्रजन किया हो तो घ्रधिकतम 8 वर्ष तक,
- (xi) प्रतिरक्षा सेवा कर्मचारियों के मामले में जो किसी बाहरी देश के माथ संघर्ष के दौरान सैनिक कार्यवाही में प्रथवा किसी उपद्रवग्रस्त क्षेत्र में प्रशक्त हो गया हो धौर उमके परिणामस्वरूप सेवा मुक्त किया गया हो तो ग्रिधिक से ग्रिधिक 3 वर्ष तक, और
- (xii) प्रति रक्षा सेवा कर्मचारियों के मामले में जो श्रनु-सूचित जाति श्रथवा श्रनुसूचित श्रादिम जाति से संबंधित हो तथा जो किसी बाहरी देश के साथ संघर्ष के दौरान सैनिक कार्यवाही में श्रथवा किसी उपद्रवग्रस्त क्षेत्र में भ्रणक्त

हो गया हो श्रौर उसके परिणामस्वरूप सेवा मुक्त कर दिया गया हो तो ग्रधिकतम 8 वर्ष तक,

उपर्युक्त व्यवस्था के श्रतिरिक्त किसी भी दशा में निर्धारित श्रायु सीमा में छूट नहीं दी जा सकती है ।

दिप्पणी: (1) ऐसे सहायक/ग्रेड II श्राशुलिपिक, जो सक्षम प्राधिकारी की श्रनुमित से संवर्ग बाह्य पदों पर प्रतिनियुक्ति पर हैं, यदि श्रन्यथा पात्र हैं, तो इस परीक्षा मे प्रवेश पाने के पात्र होंगे ।

किन्तु यह गर्त उन सहायकों / स्राणुलिपिकों पर लागू नहीं होती जो किसी संवर्ग बाह्य पद पर किसी अन्य सेवा में 'स्थाना-न्तरण' के स्राधार पर नियुक्त कर लिये गए हों और सहायक ग्रेड/ स्राणुलिपिक ग्रेड II में, जैसी भी स्थिति हो, उनका कोई पुनः ग्रह-णाधिकारी (लियन) न हो ।

हिध्यणी-2 केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायक श्रीर केन्द्रीय सचि-वालय श्राशुलिपिक सेवा के श्राशुलिपिक जिन्होंने भारतीय विदेश सेवा (ख) में नियुक्ति के लिये विकल्प दिया हो श्रीर ऐसे विकल्प के श्रनुसरण में सेवा के किसी ग्रेड में नियुक्त हो गए हों, इस परीक्षा में प्रवेश पाने के पात्र नहीं होंगे ।

दिष्पणी-3 किसी अनुसूचित जाति के ऐसे सहायक के मामले में, जिसे
14 अप्रैल, 1952 से 30 अप्रैल, 1954 तक की अविध में
पदोन्नित को 'मान ली गई' तारीख का लाभ देकर तदर्थ
पदोन्नित दी गई हो, उपयुक्त नियम के प्रयोजन के लिये
सहायकों को ग्रेड में सेवा की अविध की संगणना करने के
लिये सहायक के रूप में उसकी पदोन्नित की वास्तविक
तारीख पर ही विचार किया जाएगा।

(2) नियमों का नियम 12 निम्न प्रकार से पढ़ा जाएगा ।

12. यदि कोई उम्मीदवार परीक्षा में प्रवेश के लिये आवेदन पत्न भेजने के पण्चात् अथवा परीक्षा में बैठने के बाद के केन्द्रीय सिचवालय सेवा अथवा केन्द्रीय सिचवालय प्राशुलिपिक सेवा में अपनी नियुक्ति से त्याग पत्न दे दें, अथवा और किसी कारणवश सेवा छोड़ दें अथवा उससे संबंध विछेद कर, या उसको सेवा उसके विभाग द्वारा समाप्त कर दी जाए अथवा वह किसी संवर्ग बाहय पद पर या अन्य सेवा में 'स्थानान्तरण' पर नियुक्त किया जाए और सहायक या आशुलिपिक ग्रेड में अपना पुन: ग्रहणाधिकार न रखती हो तो वह इस परीक्षा के परिणामों के आधार पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यह बात उस सहायक/ ग्राशुलिपिक ग्रेड II पर लागू नहीं होती जिसे सक्षम प्राधिकारी के श्रनुमोदन से संवर्ग बाहय पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया गया हो ।

सं० 12/2/75-के०से०-II---सिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान द्वारा 1975 में केन्द्रीय सिववालय प्राशुलिपिक सेवा के ग्रेड II तथा भारतीय विदेश सेवा (ख) के प्राशुलिपिकों के उप संवर्ग के ग्रेड II प्रौर सहस्त्व सेना मुख्यालय श्राशुलिपिक सेवा के ग्रेड II के लिये प्रवर सूची में सिम्मिलित करने के लिये सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के नियम सर्व-साधारण को सूचना के लिये प्रकाशित किये जाते हैं।

- 2. प्रवर सूची में सम्मिलत किये जाने वाले व्यक्तियों को संख्या संस्थान द्वारा जारी किये गये नोटिस में बता दी जाएगी।
- 3. सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान द्वारा यह परीक्षा इन नियमों के परिशिष्ट में निर्धारित पद्धति के स्रनुसार ली जाएगी।

किस तारीख स्रौर किन किन स्थानो पर परीक्षा ली जाएगी, इसका निर्धारण संस्थान करेगा ।

- 4. पात्रता की शर्ते केन्द्रीय सिववालय ग्राणुलिपिक सेवा/भारतीय विदेश सेवा (ख) के ग्राणुलिपिकों के उप संवर्ग संशस्त्र सेना मुख्यालय ग्राणुलिपिक सेवा का नियमित रूप से नियुक्त कोई भी ऐसा स्थायी ग्रथवा श्रस्थायी श्रधकारी, जो निम्नलिखित शर्त पूरी करता हो, परीक्षा में बैठने ग्रीर श्रपनी सेवा की रिक्तियों के लिए प्रतियोगता करने का पात्र होगा ग्रर्थात् केन्द्रीय सचिवालय ग्राणुलिपिक सेवा के ग्रेड II के ग्राणुलिपिक उस सेवा के ग्रेड II की रिक्तियों के लिए पात्र होंगे ग्रीर भारतीय विदेश सेवा (बी) के ग्राणुलिपिक सारस्त्र सेना मुख्यालय ग्राणुलिपिक सेवा के ग्रेड-iii के ग्राणुलिपिक सशस्त्र सेना मुख्यालय ग्राणुलिपिक सेवा के ग्रेड II की रिक्तियों के लिए पात्र होंगे।
 - (क) सेवा की अवधि : इस सेवा के ग्रेड III में निर्णायक तारीख, ग्रर्थात 1-1-1975 को उसकी कम से कम तीन वर्ष को श्रनुमोदित ग्रौर निरन्तर सेवा होनी चाहिए।

बगर्ते कि सगस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-III श्राणुलिपिक ,जिसने पहली जनवरी, 1975 को श्राणुलिपिक ग्रेड-III के पद पर तीन वर्ष को श्रनुमोदित तथा लगातार सेवा न की हो परन्तु वह पहली अगस्त, 1975 को श्राणुलिपिक ग्रेड-III के पद पर तीन वर्ष की श्रनुमोदित तथा लगातार सेवा पूरी कर रहा हो, तो वह विपणे मामले के रूप में इस परीक्षा में बैठने का पात्र होगा।

यह छूट केवल 1975 में होने वाली परीक्षा के लिए लागुं होगी।

- टिप्पणी —ग्रेड-III के वे ग्रधिकारी जो समक्ष ग्रधिकारी के श्रनुमोदन से संवर्ग बाहय पदों पर प्रतिनियुक्ति पर हो, श्रौर जिनका केन्द्रीय सचिवालय, ग्राणुलिपिक सेवा/भारतीय विदेश सेवा (बी०) के ग्राशुलिपिकों के उप संवर्ग/सशस्त्र सेना मुख्यालय श्राशुलिपिक सेवा के ग्रेड-III में धारणाधिकार है, यदि ग्रन्यथा पान्न हो, तो इस परीक्षा में बैठ सक्षेगे।
 - (ख) आय: उसकी म्रायु पहली जनवरी, 1975 को 45 वर्ष से म्रिधिक नहीं होनी चाहिए। म्रर्थात् वह 2 जनवरी, 1930 से पहले पैदा नहीं हुमा हो।
 - (i) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति के हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष तक.

- (ii) यदि उम्मीदवार बगला देश (श्रृतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान) से ग्राया हुआ हो वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो ग्रौर 1 जनवरी, 1964 को या उसके बाद (लेकिन 25 मार्च, 1971 से पहले) प्रग्रजन करके भारत में श्राया हो तो श्रीधक से ग्रीधक तीन वर्ष तक।
- (iii) यदि उम्मी जार सनुसूचित जादि दिस जाति का हो और बगला देश (भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान) से श्राया हुश्रा हो और वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो और पहली जनवरी, 1964 को या उसके बाद (लेकिन 25 मार्च, 1971 से पहले) प्रवजन करके भारत में आया हो तो श्रीधक से श्रीधिक 8 वर्ष तक।
- (iv) यदि उत्मीत्वार श्री लका से श्राया हुश्रा वास्तविक देश प्रत्यार्वातत भारतीय मूल का त्यक्ति हो श्रीत श्रक्तूबर, 1964 के भारत लका समझौते के श्रधीन पहतो नवस्बर, 1964 को या उसके याद श्रीतका से भारत में पंत्रजा दुशा हो, तो श्रधिकतम तीन वर्ष तक,
- (v) यदि उम्मीदवार अनुभूनित जारि सा शनुसूचित श्रादिन जाति से सर्वाधित हो तथा श्रीलका से श्राया हुश्रा वास्तविक देश-प्रत्यार्जाति भार-तीय मूल का व्यक्ति हो श्रीर श्रक्तूतर, 1964 के भारत श्रीलका समझौते के श्रधीन पहली नयम्बर, 1964 को या उसके वाप श्री लका से भारत में प्रवर्जित हुश्रा हो तो गधिकतम श्राठ वर्ष तक,
- (vi) यदि उम्मीदवार सध राज्य क्षेत्र गोदा दसन श्रौर दीव का निवासी हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक.
- (vii) यदि उम्मीदवार भारतीय मूल का हो ग्रौर केल्या उगाडा ग्रौर सयुक्त तजानिया गणराज्य (भूत-पूर्व टगानिका श्रोर जजीबार) से प्रश्नजित हो सो ग्रधिकतम 3 वर्ष,
- (viii) यदि उम्मीदवार तमा से आया तृपा वास्तविक देश प्रत्यार्थातत शारतीय मृत का वादित हो भ्रार पहली जूर, 1963 का या उपा बाद भारत में प्रविश्व हता हो, तो कि विक से श्रियक तीन वर्ष केंद्र,
 - (ix) यदि उपनीदार श्रुम्चित शानि या अनु-सूजित तीं शानि में सर्वा हो त्या नर्मा रो प्रायत हुना नर्मा ति है। पाति ।। तिय मूलका व्यक्ति हो स्वीर पहले। ।।, ४७० भी या उसके बाद भारत ने १७७०। प्राय हो, तो प्रायक्ति भारत ने १७७०। प्राय हो,
- (x) किसी दूसरे देश में सवर्ग कदारान श्रथमा उपद्र-वग्रस्त इलाकों में फौजी कार्यवाहिया नी करते

- समय आरक्त हुए तथा उसके परिषासस्बरूप नौकरी से निर्मुक्त रक्षा सेवा कार्मिको के मामले मे प्रविकान तोन वर्ष और।
- (xi) किसी दूसरे देश से सघर्ष के दौरान श्रथवा उप-द्रवग्रस्त इलाकों से फौजी कार्यवाहिया करते समय प्राशक्त हुए तथा उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निमुक्त श्रनुसूचित जातिया तथा श्रनुसूचित प्रादिन जातियों से सबधित रक्षा सेवा वार्मिकों के मामले में श्रधिकतम 8 वर्ष तक ।
- (xii) 1971 में हुए भारत पाक सघर्ष के दौरान फौजी कार्रवाद्यों में विकलाग हुए तथा उसके फल-स्वरूप निर्मृदन किए गए सीमा मुरक्षा बल के कार्मिया के मामलों में श्रिधिकतम तीन वर्ष नका।
- (xiii) 1971 में हुए भारत पाक सवर्ष के दौरान फौजी कार्रवाइयों में विकलाग हुए तथा उसके फल-स्वरूप नियुक्त किए गए सीमा सुरक्षा बल के ऐसे कार्मिकों के मामलों में प्रधिकतम 8 वर्ष तक तो प्रनुसूचित जातियों या प्रनुसूचित आदिम जातियों की हों।

उपर्युक्त बातो के अलावा उपर निर्धारित आयु सीमा में श्रीर किसी हाला में छूट नहीं दी जायेगी।

- (ग) आशुलिपिक परीक्षा जब तक कि केन्द्रीय सिववालय श्राशुलिपिक सेवा भारतीय विदेश सेवा (बी०) के आशुलिपिक सेवा के उप सवर्ग/सशस्त्र सेना मुख्यालय श्राशुलिपिक सेवा के ग्रेड-3 में स्थायीकरण, बने रहने के प्रयोजन के लिये सस्थान को श्राशुलिपिक परीक्षा उत्तीर्ण बन्ने से छूट न मिल गई हो, उसने पराक्षा की श्रिधिसूत्रना की तारीख को या उसके पूर्व यह परीक्षा उत्तीर्ण कर ली होनी चाहिए।
- टिप्पणी प्रेड-3 के जो घाणुलिपिक सक्षम प्रधिकारी के अनुमोदन
 सवर्ग बाउ्य पत्रो पर प्रतिनियुक्ति पर है और जिनका
 इस सेवा के ग्रेड-3 में धारणाधिकारी है, यदि अन्यथा
 पाच ता, को परीक्षा से मिमालिन किए जाने के पान
 होंगे। ता यह बाद रड-3 ह उन आर्या विका पर
 लागू नहीं है से जो के किए के मार्य पदी पर यह प ने ने के हिए की मार्य के ग्रेड शहैर पदी पर यह प ने ने के नियुक्त किये गरे तो और
 केन्द्रीय स्पानकार आणुविति सेवा भारतीय विदेश
 सेवा (ते) है आर्ज़िय पत्रा क डास्किन स्वा
 मेना महरावा अवस्ति ।।
- 5. परीक्षा वे बंध है। लंब उन्मान्तार को पाल मान मानाता के बारे में मंस्थान का विशेष अन्तिम होगा।
- 6 यदि किसी उन्हेंदनार के पास सस्थान । हिन्ना (सार्टिफिकट ग्राफ एट्टामन) न होगा तो उने पराजा म नहीं बैठने दिया जायेगा।

 उम्मीदवारों को संस्थान की विज्ञपती के पैरा 5 में निर्धारित मुक्क देना होगा ।

यदि किसी उम्मीदवार को संस्थान द्वारा घोषित कर दिया जाता है या कर दिया गया हो कि उसने :---

- (j) किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिये समर्थन प्राप्त किया है, भ्रथना
- (ii) नाम बदल कर परीक्षा दी है, ग्रयवा
- (iii) किसी भ्रन्य व्यक्ति से छदम् रूप में कार्य साधन कराया है, भ्रथवा
- (iv) जाली प्रमाण-पत्न या ऐसे प्रमाण पत्न प्रस्तृत किए जिन में तथ्यों को बिगाडा गया हो, प्रयवा
- (v) गलत या झूटे वक्तव्य दिए हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, श्रथवा
- (vi) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए किसी प्रन्य प्रनियमित भाषता धनचित उपायों का सहारा लिया है, भाषता
- (vii) परीक्षा भवन में धनचित तरीके अपनाये हैं, अथवा
- (viii) परीक्षा भवन में अनुचित भाचरण किया है, श्रवा
- (ix) उपर्युक्त खण्डों में उल्लिखित सभी भ्रथवा किसी भी कार्य के द्वारा भायोग को भ्रवभेरित करने का प्रयत्न किया है; तो उस पर भापराधिक श्रभियोग (कि-मिनल प्रासीक्यूशन)चलाया जा सकता है और उसके साथ हो उसे ~~
 - (क) संस्थान द्वारा उस परीक्षा से, जिसका वह उम्मीदवार है, बैठने के लिए भ्रयोग्य ठहराया जा सकता है; भ्रथवा
 - (ख) उसे भ्रस्थायी रूप से भ्रयवा एक विशेष प्रविध के लिए:--
 - (i) संस्थान व्यारा, ली जाने वाली किसी भी परीक्षा भ्रथवा चयन के लिए;
 - (ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा, अधीन किसी भी भौकरी से वारित किया था सकता है, और
 - (ग) उपर्युक्त नियमों के प्रधीन धनशासनिक कार्या-वाही की जा सकती है।
- 9. परीक्षा के पश्वात् प्रत्येक उम्मीवदार व्वारा अंतिम रूप से प्राप्त श्रंकों के ग्राघार पर संस्थान द्वारा उनकी योग्यता कम से तीन ग्रंका सूचियां बनाई जायेगी श्रोर उसी कम के श्रन्सार संस्थान उस परीक्षा में जिसमें उम्मीदवारों को सकलता प्राप्त समझेगा, उनके नाम ग्रंपेक्षित संख्या तक, केन्द्रीय संविवालय ग्राशलिपिक सेवा भारतीय विदेश सेवा (बी०) के ग्राशलिपिकों के उप संवर्ग श्रीर समस्त्र सेना मुख्यालय ग्राशलिपिक सेवा के ग्रेड-II को चयन सूची में सम्मित्रत करने के लिये सिफारिश करेगा।

टिप्पणी: -- जुम्मीदवारों को अच्छे तरह से समय लेना चाहिए कि यह प्रतियोगिता परीक्षा है न कि अहुँक परीक्षा (क्वालीफाइंग) (एग्जामिनेशन) इस परीक्षा के परिणाम के श्राधार पर केन्द्रीय सिववालय आसुलिपिक सेवा/भारतीय विदेश सेवा (बी) प्राजुलिपिकों के उपसंवर्ग के ग्रेड II और सशस्त्र सेना मुख्यालय प्राशुलिपिक सेवा के ग्रेड-II की प्रवरण सूची में किखने उम्मीवदारों के नाम शामिल किये जाएं, इसका निणंग करने के लिये सरकार पूरी तरह सक्षम है। इमलिये कोई भी उम्मीदवार प्रधिकार के तौर पर इस बात का कोई बावा नहीं कर सकेगा कि उस के द्वारा परीक्षा में विए गए निष्पादन के आधार पर उसका नाम प्रवरण सूची में शामिल किया ही जाये।

- 10. हर एक उम्मीदवार के परीक्षाफल की सूचना किस रूप में तथा किस प्रकार वी जाय, इसका निर्णय संस्थान प्रपने विवेश-नुसार करेगा घौर संस्थान के परिणामों के बारे में उनसे कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा।
- 11. परीक्षा में उतीर्ग हो जाने माल से हो चनाव का प्रविकार नहीं मिलता जब तक कि संरकार भावश्यक जांच के बाद संतुष्ट न हो जाए कि उम्मीदवार चनाव के लिये हर प्रकार से पाल भौर उपयक्त है।
- 12. जो उम्मीदवार इस परीक्षा में बैठने के लिये श्रावेदनपन्न देने के बाद या परीक्षा में बैठ जाने के बाद केन्द्रीय साचवालय
 श्राणलिपिक सेवा/भारतीय विदेश सेवा (बी०) के श्राणलिपिकों
 के उप संवर्ग और सणस्त्र सेना मख्यालय श्राण्लिपिक सेवा के श्रपने
 पद से त्याग पन्न दे देगा श्रयवा श्रन्य किसी श्रकार से उम सेवा को
 छोड़ देगा या उससे श्रयना मंबंध वि०छेद कर लेगा या जिनकी
 सेवाएँ उसके विभाग द्वारा समाप्त कर दी गई हो या किसी निसंवर्गीय पद या दूसरी सेवा में 'स्थानान्तरण' द्वारा नियुक्ठ
 किया जा चुका हो और केन्द्रीय सचिवालय श्राणुलिपिक सेवा/
 भारतीय विदेश सेवा (बी०) के श्राणुलिपिकों के उप-संवर्ग के ग्रेडIII में धारणाधिकारी न हो, वह इस परीक्षा में परिणाम के
 श्राधार पर नियुक्त का पाल नहीं होगा।

तथापि यह ग्रेड-III के उप भागुनिपिक पर नहीं लाबू होता जो सक्षम प्राधिकारी के मनुमोदन से किसी नि:संवर्गीय पद पर प्रतिनियुक्ति के रूप में नियक्त किया जा चुका हो ।

> फे॰ बी• नायर, सवर सचिव

परिशिष्ट

 निश्चित परीक्षा के नियम, तथा प्रत्येक निषय के लिए विका नया समय तथा पूर्णीक इस प्रकार होंगे ।

भाग-क लिखित परीक्षा

विषय	दिया गया समय	पूर्णांक
1. प्रेग्रेजी	3 घन्टे	100
2 सामान्य ज्ञान	3 चन्टे	100

भाग-ख हिन्दी या ग्रंग्रेजी श्रामुलिपि परीक्षा (लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण) होने वालों के लिए 200 ग्रंक

टिप्पभी: - उम्मीदवारों को श्रपने श्राशृलिपि नोट टंकण मशीन से लिपियंतरित करने होंगे, श्रीर इस प्रयोजन के लिए उन्हें श्रपनी टंकण मझीन लानी होंगी।

भाय-ग ऐसे उम्मीदवारों के सेवा श्रभिलेख का मूल्यांकन, जो संस्थान द्वारा भपने विवेकानुसार निर्णीत किए आएंगे, भविकतम 100 भंक

- 2. लिखित परीक्षा के लिए पाठ्य विवरण सथा आमुलिपि की परीक्षाओं की योजना इस परिशिष्ट को संलग्न अनुसूची में विए गए अनुसार होंगी।
- 3. उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा के सामान्य ज्ञान के प्रकण पस (II) का उत्तर हिन्दी (देवनामरी) या अंग्रेजी में लिखने की कूट है। यह छूट पूर्ण प्रक्रन पत्र के लिए लागू होंगी न कि उसमें किसी भाग के लिए।

जो उम्मीदबार पूर्वोक्त प्रश्न पत्न हिन्दी (देवनामरी) में विकल का विकल्प लेंगे उन्हें ग्राणुलिपि की परीक्षा भी केवल हिन्दी (देवनागरी) में ही देनी होगी, भौर जो उम्मीदवार पूर्वोक्त प्रश्न पत्न शंग्रेजी में लिखने का विकल्प लेंगे उन्हें ग्राणुलिपि की परीक्षा भी केवल शंग्रेजी में ही देनी होगी।

हिष्यणी 1:—भो उम्मीदवार सिविल परीक्षा में सामान्य ज्ञान का
II प्रश्न पत्न का उत्तर तथा श्रामुलिपिक की परीक्षाओं
में हिन्दी में लिखने के इच्छुक हों, में यह विकल्प
श्रावेदन पत्न के कालम 6 में लिखें। श्रन्यथा यह
माना जाएगा कि उम्मीदवार लिखित परीक्षा सथा
श्रामुलिपि की परीक्षाश्रों में श्रंग्रेजी में लिखेंगे।

एक बार का विकल्प मन्तिम समझा जाएगा, भीर उक्त कालम में कोई परिवर्तन करने का अनुरोध साधारणतया स्त्रीकार नही किया जाएगा।

- हिज्बणी 2: ऐसे उम्मीदवारों को भ्रपनी नियुक्ति के बाद जो भाभुलिपि की परीक्षा हिन्दी में देने का विकल्प लेंगे, अंभ्रेजी भाभुलिपिक भीर जो भाभुलिपिक की परीक्षा अंभ्रेजी में देने का विकल्प लेंगे उन्हें हिन्दी भाभुलिपिक भावस्थक रूप से सीखनी पड़ेगी।
- हिष्मणी 3:— जो उम्मीदवार उपर्युक्त पैरा 3 के घनुसार विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों में परीक्षा धेना चाहते हैं, भौर सामान्य शान के II प्रश्न पत्न का उत्तर तथा धाशुलिपिक की परीक्षाओं में हिन्दी में लिखना चाहते हैं, उन्हें भपने निजी व्यय पर भाशुलिपि की परीक्षाएं देने के लिए विदेश में किसी ऐसे भारतीय मिशनों में जहां ऐसे परीक्षाएं लेने के भावश्यक प्रबन्ध हों, जाना पड़ सकता है।
- रिज्यणी 4: उम्मीदवार ने जिस भाषा का विकल्प दिया है उसके भ्रलावा भ्रत्य किसी भाषा में उत्तर लिखने

भथवा श्राणुलिपिक की परीक्षा देने पर कोई मान्यता नहीं दो जाएगी।

- 4. लिखित परीक्षा का श्रंग्रेजी प्रश्न पन्न (I) का उत्तर सभी उम्मीदवारों द्वारा श्रंग्रेजी में देना श्रनिवार्य है।
- 5. जो उम्मीदवार 120 शब्द प्रति मिनट वाले डिकटेश्वन में न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेंगे वे 100 शब्द प्रति मिनट वाले डिकटेशन में वही स्तर प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों से कम में ऊपर होंगे। प्रत्येक वर्ग में उम्मीदवारों को प्रत्येक उम्मीदवार को दिए गए कुल ग्रंकों के भनुसार, पारस्परिक प्रवस्ता अनुवाद रखा जाएगा (निम्नलिखित श्रनुसूची का भाग (ख) को वेखें)।
- 6. उम्मीदवारों को सभी उत्तर धपने हाथ से लिखने होंगे। किसी भी हालत में उन्हें उत्तर लिखने के लिए भ्रम्य व्यक्ति भी सहायता क्षेने की भ्रनुमति महीं दी जाएगी।
- 7. संस्थान प्रपने विवेकानुसार परीक्षा के किसी एक या सभी विषयों के महंक (क्वालीफाइंग) श्रंक निर्धारित करेगा।
- 8. केवस उन्हीं उम्मीदवारों को ब्राशुलिपि परीक्षा के लिए बुलाया बाएगा जो संस्थान द्वारा श्रपने विवेकानुसार नियम किए गए न्यूनतम ब्रहंक श्रंक प्राप्त कर सेंगे।
 - 9. केवल सतही ज्ञान के लिए कोई श्रंक नहीं दिए जाएंगे।
- 10. भ्रस्पष्ट लिखावट के कारण, लिखित विषयों की अधिकतम मंकों के 5 प्रतिशत श्रंक तक काट लिए जाएंगे।
- 11. परीक्षा के सभी विषयों में इस बात का विश्लेष लाभ दिया जाएगा कि भाषाभिन्यक्ति श्रावश्यकतानुसार कम से कम शब्दों में ऋमबद्ध तथा प्रभावपूर्ण ढंग से श्रीर ठीक ठीक की गई है।

अनुसूची

भाग-क

परीक्षा का स्तर और पाठ्य विवरण

टिप्पणी:--भाग 'क' के प्रश्न पक्षों का स्तर लगभग वही होगा को किसी भारतीय विश्वविद्यालय की 'मैट्रीकुलेशन' परीक्षा का होता है।

भंग्रेजी: ---- यह प्रश्न पत्न इस रूप से तैयार किया जाएगा, जिससे उम्मीदवारों के अंग्रेजी व्याकरण और निबन्ध रचना के आन को तथा भंग्रेजी भाषा को समझने और शुद्ध अंग्रेजी लिखने की उनकी योग्यता की जांच हो जाए। श्रंक देते समय वाक्य विन्यास/सामान्य श्रिभव्यक्ति और भाषा कौशल को ध्यान में रखा जाएगा। इस प्रश्न-पत्न में निबन्ध लेखन, सार लेखन, मसौदा लेखन, शब्दों का शुद्ध प्रयोग श्रासान मुहावरों और उपसर्ग (प्रीपो-जीशन) डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच श्रावि कामिल किए जा सकती हैं। और संस्कृति, भारत का सामान्य और श्राधिक भूगोल, सामान्य घटनाएं सामान्य, विज्ञान तथा दिन प्रति दिन नजर श्राने वाली ऐसी बातें जिनकी जानकारी पढ़े लिखे व्यक्ति को होनी चाहिए।

उम्मीदवारों के उत्तर से पह एकट होना नाहिए कि उन्होंने प्रश्नों को अच्छी तरह समझा है। उनके उत्तरों से किसी पाठ्य पुस्तक के ब्यौरेवार ज्ञान की प्रोशा नहीं की जनी है।

भाग---ख

आगृलिपि परीक्षाओं की योजना

श्रंग्रेजी में श्राशुलिपि की परोक्षाओं से दो जिस्टेशन परीक्षाएं होंगी। एक 120 शब्द प्रति मिनट की गति से सात मिनट के लिए श्रीर दूसरी 100 शब्द प्रति मिनट की गति से दा मिनट के लिए जो उम्मीददारों की कमश: 45 तथा 50 मिनटों में जिन्यंतर करने होंगे।

हिन्दी में स्राणुलिपि की परीक्षास्रों में दो डिक्टेशन प**रीक्षाएं** होगी:---

एक 120 शब्द प्रति मिनट की गित से तात मिनट के लिए और दूसरी 100 शब्द प्रति मिनट की गित से दत मिनट के लिए उम्मीदशरों की कमशः 60 तथा 65 मिनटों में लिप्यंतर करने होंगे।

स्वास्य और परिवार नियोजन मंत्रासय (परिवार नियोजन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 25 फरवरी 1975

संकल्प

सं० एत० 13023/13/74- श्राई० यू० डो०-स्वास्थ्य श्रीर परिवार नियोजन मंत्रालय (परिवार नियोजन विभाग) के दिनांक 20 दिसम्बर, 1972 के संकल्प लंख्या 1-11/72 - श्राई० यू० सी० डी० का श्रीधकरण करते हुए भारत सरकार में बाहरी क्षेत्र में परिवार नियोजन कार्यक्रम सम्बन्ध सभी तकती हो समस्याश्रों पर सरकार को सलाह देने के लिए इस मिनि को नुनगंठित करने का निर्णय किया है।

- 2 पुनर्गठित समिति की रवना इस प्रकार होगी :--
 - भ्रायुक्त (परिवार नियोजन तथा प्रपूति एवं बाल स्वास्थ्य)

श्रध्यक्ष

 ग्रायुक्त (ग्राम स्वास्थ्य सेवा), स्वास्थ्य-सेवा महानिदेशालय

सदस्य

 निदेशक, राष्ट्रीय प० नि० संस्थान, नई दिल्ली

सदस्य

4. महानिदेशक, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् या उनका प्रतिनिधि

सदस्य

5. भारत की प्रसूति और स्तीरोग विज्ञान सो-साइटी के परिसंघ का अध्यक्ष अथवा उनका प्रतिनिधि (डा० सी० एत० अपेरी), जय दीप, 224 लेडी हार्डिंग रोड, मटंगे, बस्बई -16)

सदस्य

सदस्य

6. डा० श्राई० भूषण राव, प्राध्यापक ग्रीर श्रध्यक्ष ध्यवहार श्रापुविज्ञान विभाग, जवाहर-लाल नेहरु मेडिकल कालेज, बेलगाम । 7. डा॰ राघवेन्द्र राव, निदेशक स्वास्थ्य सेवा श्रीर प० नि० श्रांध्र प्रदेश, हैंदराबाद

सदस्य

8. हा० जी० पी० श्रीवास्तव चिकित्सा **भौर** स्वारथ्य सेवा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

सदस्य

9. डा० पी० भ्रार० सोंधी, स्वास्थ्य सेवा निदेशक, हरियाणा सरकार, चण्डीगढ़

सवस्य

10. डा० के० वाई० श्री खाडे, एफ० ग्रार० सी० एस०, स्वास्थ्य सेवा निदेशक, मध्य प्रदेश, भोपाल

सदस्य

11. डा० पी० के० देवी, जनन जीव विज्ञान संस्थान जहांगीर भेरवांजी स्ट्रीट, परेल, बम्बई-12

सदस्य

12. हा० बी० एन० पुरन्दरे, हीन, नोरोसजी वाडिया प्रसूति श्रम्पताल, श्राचार्य ढांडे मार्गे, परेल, बम्बई

सदस्य

13. डा० वी० एन० श्रीखांडे, एफ० भ्रार० सी० एस०, धुरू टेरेस, एन० सी० केल्कार रोड (निकट तिलक पुल), दावर, दम्बई-400028

सदस्य

14. उपायुक्त (टी० भ्रो०), परिवार नियोजन विभाग ।

सदस्य-सचित्र

- 3. इस समिति के विचारार्थ विषय, गर्माशयी गर्भनिरोधक ग्रौर नसबन्दी पद्धतियों, गर्भ का निकित्सय समापन ग्रौर खाय जाने वाले गर्भ -िनरोधक के विशेष सन्दर्भ में बाहरी क्षेत्र में परिवार नियोजन कार्यक्रम से संबंध तकनीकी, प्रशासकीय, संगठनारमक पहलुग्रों सहित सभी समस्यात्रो पर विचार करना ग्रौर सरकार को परामर्थ देना, होंगे।
- 4. समिति को कार्यक्रम के सम्बन्धित पहलु**ओं के विशेषओं** को श्रपनी बैठकों में भाग लेने के लिए सहयोजित/ आमंत्रित करने की शवित होगी ।
 - 5. समिति का कार्यकाश एक वर्ष होगा।
- 6. समिति के गैर सरकारी सदस्य समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए उन्हीं दरों पर याला भत्ता और दैनिक भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे जो केन्द्रीय सेवाओं के श्रेणी-1 के उच्चतम ग्रेड के श्रिधिकारियों को स्वीकार्य हैं। रामिति के जो सदस्य सरकारी कर्मचारी हैं वे स्वीकार्य याला भत्ता और दैनिक भत्ता उसी स्लोत से प्राप्त करेगे जहां से उन्हें वेतन मिलता है।
- ७. इस पर होने वाला व्यय संस्वीकृत बजट अनुदान में से "मांग संख्या 42 परिवार नियोजन मुख्य शीर्ष 281 स्वा परिवार नियोजन, ख.1 (1)——मुख्यालय में तकनीकी खण्ड, ख.1 (1) (3)——याता खर्च 1974-75" के अन्तर्गत पूरा किया जायेगा ।

आवेश

द्यावेदा दिया जाता है कि इस संकल्प की एक- एक प्रतिलिपि सभी राज्य सरकारों को भेजी जाए ।

यह भी प्रादेश दिया है कि यह संकल्प भारत के राजपन्न मैं भ्राम सूचना के लिए प्रकाशित किया जाए ।

> सरला ग्रे<mark>या</mark>ल, सयुक्त सचिव तथा ग्रायुक्त (परिवार नियोजन)

रेल मंत्रालय (रेलवे वोडं)

उक्त श्रेणी परक्षम (रेलवे बार्ड) ती वित विभागीय प्रतिपोगिता परीक्षा, 1975 के लिए नियम

नई दिल्ली, दिनांक 22 मार्च 1975

सं० ई० 75 घो० जी० 1/ग्रार० वी० 3—रेलवे बोर्ड सिच-बालय लिपिक सेवा उच्च श्रेणी प्रक्रम प्रवर सूची में शामिल करने के उद्देश्य से सिचवालय, प्रतिश्रण एवं प्रबन्ध संस्थान हारा 1975 में ली जाने वाली सीमित विभागीय प्रतियोगिता परोक्षा के नियम ग्राम जानकारी के लिए प्रकाणित किए जाते हैं।

2. प्रवर सूची में शामित करने के लिए चुने जाने वाले श्र्यक्तियों की संख्या संस्थान द्वारा जारी को जाने वाली सूचना में विनिर्दिष्ट की जाएगी । प्रापुत्ति जातियों तथा अनुसूचित जन-जातिया के अभ्यांथियों के लिए रिक्तियों का श्रार्अण भारत सरकार द्वारा नियत की गयी सख्या में किया जाएगा।

अनुसूचित जातियो/जन जातियो से अभिप्राय है कोई भी ऐसी जाति/जन जाति जिसका उल्लेख बम्बई पुनर्गठन ग्रधिनियम, 1960, पजाब पूर्नाठन अधिनियम, 1966, अनुसूचित जाति भीर अनुभूचित जनजाति चादेग (तंशोधन) यधिनियम, 1956, संविधान (जम्मू श्रीर काण्मीर) अनुसूचित जाति श्रादेश, 1956, संविधान (अंउमान श्रीर निकोवार द्वीप) अनुपूचित जन जाति श्रादेश, 1959, स्विवान (दादरा और नागर हवेली) श्रनुसूचित जाति श्रादेश 1962, संविधान (दादरा श्रीर नागर हवेली) सनुनूचित जन जानि प्रादेश 1962, गंविधान (पाडिचेरी) अनुसूचित जारा पादेश 1964, संविधान अनु-मूनित जन जाति) (उतर प्रदेश) आदेश, 1967, संविधान (गोग्रा, दमा ग्रौर दीव) अनुपूर्वित जाति श्रादेश, 1968 संबि-धान (गोया, दमन भौर तेत्र) फनुयुचित जनजाति यादेश, 1968 श्रीर संविधान (नागानैंड) धनुमुचित जन जानि आदेश, 1970 के साथ पठित प्रनुस्चित जाति/प्रनुसूचित जन जाति मुची (संशोधन) श्रादेश, 1956 में लिया गया है।

- 3. परीक्षा सिचित्रालय अजिक्षण एव प्रवन्ध संस्थान द्वारा इन निवमों के परिणिष्ट में विजीतित दग से नी जायेगी। जिन तारीयों को श्रीर िन स्थानों पर परीक्षा ली जायेगी, वे संस्थान द्वारा निष्टिल्य किये जाएंगे।
- 4. रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा के निम्न श्रेणी पद-क्रम का कोई स्थायी या विधिवत नियुक्त श्रस्थायी कर्मचारी, जो निम्नलिखित शर्ते पूरी करता हो, परीक्षा में बैठने का पान्न होगा .—-
- (1) सेवा काल :— उसने रेलवे बोर्ड मिनवालय लिपिक सेवा के अन्तर्गत निम्न धेणो पदक्रम में 1 जनवरी, 1975 को 5 वर्ष से अन्यून निरन्तर सेवा की हो।

हिन्यगो-1 .-- 5 वर्ष की अनुनोदिन और निरन्तर सेवा की तीरा उस स्थिति में भी लाग होगी जब किसी अभ्यर्थी की कुल समग्रनीय सेवा श्रंशत. रेलवे बोर्ड सनियालय निषिक सेवा में निम्न श्रेणी लिपिक और श्रंशत उच्च श्रेणी लिपिक में हो।

हिप्पणो-2:---रेलवे बोर्ड सिचवालय लिपिक सेवा के निम्न श्रेणी पदकम के स्थामी या विधिवत नियुक्त श्रस्थामी लिपिक को जो 26 श्रक्तूबर, 1962 को जारी की यथी श्रापात उद्घोषणा की प्रवर्तन श्रवधि के दौरान श्रथित् 26 श्रक्तूबर, 1962 से 9 जनवरी 1968 तक सशस्त्र सेनाओं में चला गया हो, सशस्त्र सेनाओं से प्रत्यावर्तन पर, सशस्त्र सेनाओं में श्रपने सेवा कान (जिसमें प्रशिक्षण श्रविध, यदि कोई हो, शामिल है) को निर्धारित न्यूनतम मेवा के लिए गिनने की श्रनुमित होगी।

टिल्पणी-3:—वे निम्न श्रेणी लिपिक, जो सक्षम प्राधि-कारी की श्रनुमित से संवर्ग याहग पदों पर प्रतिनियुक्ति पर हों, भी परीक्षा में बैठने के पाल हो सकेंगे यदि श्रन्यथा पाल हों। यह उस निम्न श्रेणी लिपिक के मामले में लागू नही होता जो संवर्ग वाहय पद पर नियुक्त हुश्रा हो या श्रन्य, सेवा पर 'ग्रन्तरित' हो गौर रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा में निम्न श्रेणी पद कम में उसका स्वत्व (लियन) न हो।

- (2) आपु: -- (क) वह 1 जनवरी, 1975 को 45 वर्ष से ग्रधिक भ्रायुकान हो ग्रथीत उसका जन्म 2 जनवरी, 1930 से पहले न हुमा हो।
- (ख) रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक मेवा के निम्न श्रेणी पवक्रम के स्थायी या विधिवत नियुक्त उस श्रस्थायी कर्मचारी के मामले में, जो 26 श्रक्तूबर, 1962 को जारी की गयी श्रापात उद्धोषणा की श्रवतंन श्रवधि के दौरान श्र्यात 26 श्रक्तूबर, 1962 से 9 जनवरी, 1968 तक सणस्त्र सेनाश्रो में चला गया हो श्रोर जो सशस्त्र सेनाश्रो से प्रत्यावितत हो चुका हो, ऊपर निर्धारित श्रायु सीमा सशस्त्र सेना में उसके सेवा काल (जिसमें प्रशिक्षण की श्रवधि, यदि कोई हो, भी शामिल है) की सीमा तक शिथिल की जा सकती हैं।
- (ग) ऊपर लिखी श्रायु सीमा श्रौर श्रागे शिथिल की जायेगी:—
 - (i) प्रधिक से ग्रिधिक पांच वर्ष तक यदि कोई श्रश्यार्थी श्रनुसुचित जाति या जनजाति का हो,
 - (ii) अधिक ते अधिक तीन वर्ल तक यदि कोई अभ्यर्थी बगला देश (जिसे पहले पूर्नी पाकिस्तान कहा जाता था) से श्राया हुआ सदाशयी विस्थापित हो और 1 जनवरी, 1964 को या उसके बाद, परन्तु 25 मार्च, 1971 से पूर्व भारत में प्रव्रजन कर गया हो,
 - (iii) श्रधिक से श्रधिक आठ वर्ष तक यदि कोई
 श्रभ्यर्थी अनुसूचित जाति या अनुसूचित अन
 जाति का हो श्रीर बंगला देश (जिसे कि पहले
 पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था) से श्राया हुआ
 सदाशयी विस्थापित हो और 1 जनवरी,
 1964 को या उसके बाद परन्तु 25 मार्च,
 1971 से पूर्व भारत में प्रवजन कर गया
 हो,
 - (iv) श्रधिक से श्रधिक तीन वर्ष तक यदि कोई श्रभ्यर्थी श्रीलंका (जिसे पहले सीलोन कहा जाता था) से श्राया हुआ भारतीय मूल का सदाशयी प्रत्यावर्ती हो और श्रक्तूबर 1964

- के भारत-लंका करार के मन्तर्गत 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद भारत में प्रवजन कर गया हो,
- (♥) अधिक से अधिक आठ वर्ष तक यदि कोई अभ्यर्थी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का हो और श्रीलंका (जिसे पहले सीलोन कहा जाता था) से आया हुआ भारतीय मूल का सदाशयी प्रत्यावर्ती हो और अक्तूबर, 1964 के भारत-श्रीलंका करार के अंतर्गत 1 नवस्वर, 1964 को या उसके साद भारत में प्रवजन कर गया हो,
- (णां) अधिक से अधिक तीन वर्ष तक यदि अभ्यर्थी भारती मूल का हो और केम्या, उगान्दा, और तंजानिया के संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व सांगानिक और जन्जीबार) से प्रव्रजन करके भारत भाया हो,
- (vii) श्राप्तक से श्राप्तक तीन वर्षे तक यदि श्रभ्यर्थी भारतीय मूल का बर्मा से श्राया हुआ सदासयी श्रस्यावर्ती हो और 1 जून, 1963 को या उसके बाद प्रवजन करके भारत श्राया हो,
- (viii) प्रधिक से प्रधिक ग्राठ वर्षे तक यदि प्रभ्यर्थी धनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का हो प्रीर साथ ही भारतीय मूम का बर्मा से प्राया हुचा सदाशयी प्रत्यावर्ती हो भीर 1 जून 1963 को या उसके बाद प्रव्रजन करके भारत ग्राया हो:
- (ix) श्रीधक से प्रधिक तीन वर्ष तक यदि अभ्यर्थी किसी अन्य देश के साथ युद्ध के दौरान या उपद्रव-प्रस्त क्षेत्र में श्रपाहिज हो जाने के कलस्वरूप मुक्त हुआ सैनिक कर्मेचारी हो, और
- (x) धिषक से प्रधिक प्राठ वर्ष तक यदि प्रभ्यर्थी किसी प्रत्य देश के साथ युद्ध के दौरान या उपद्रव-प्रस्त क्षेत्र में प्रपाहिण हो जाने के फलस्वरूप मुक्त हुआ सैनिक हो घौर जो धमुसूचित जाति या अनुसूचित जन-जाति का हो।
- (xi) भ्रष्टिक से श्रिष्ठिक तीन वर्षे तक यदि अभ्यर्थी संघ-भ्रासित क्षेत्र गोभ्रा, दमन ग्रीर दीव का निवासी हो।
- (xii) अधिक से अधिक तीन वर्ष तक यदि अभ्यर्भी
 1971 के भारत-पाक युद्ध के वौरान अपाहिज
 हो जाने के फलस्वरूप मुक्त हुआ सीमा सुरक्षा
 दलका कर्मचारी हो।
- (xiii) प्रधिक से प्रधिक धाठ वर्ष तक यदि अध्यर्थी
 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान श्रपाहिज
 हो जाने के फलस्वरूप मुक्त हुखा सीमा सुरक्षा

दल का कर्मचारी हो ग्रीर धनुसूचित जाति बा गनुसूचित जन जाति का हो।

उपर्युक्त उपबन्धों के मतिरिक्त, किसी भी हालत में निर्धारित मानुसीमा में छूट नहीं दी जा सकती।

- (3) टाइप की परीक्षा—जब तक निम्न श्रेणी पदक्रम में स्थायीकरण के प्रयोजन के लिए संघ लोक सेवा ग्रायोग/सिववालय प्रिक्षिक्षण एवं प्रबन्ध संस्थान द्वारा श्री गयी, मासिक/बीमासिक टाइप परीक्षा पास करने से छूट न वी जाये, तब तक उसे परीक्षा की ग्रिष्टिस्चना की तारीख को या उससे पहले यह परीक्षा पास कर लेनी चाहिए।
- परीक्षा में प्रवेश के लिए कोई भ्राप्त्यवीं पात्र है या नहीं इस सम्बन्ध में संस्थान का निर्णय भ्रन्तिम होगा।
- 6. अब तक किसी मध्यर्थी के पास संस्थान से प्राप्त प्रवेत प्रमाण-पत्न नहीं होगा, तब तक उसे परीक्षा में नहीं बैठने दिवा जायेगा।
- 7. कोई ग्रम्यर्भी जिसकी बाबत संस्थान द्वारा घोषित किया। जाता है या कर दिया गया है कि वह——
 - (i) किसी साधन द्वारा श्रवनी अध्यायिता के लिए समर्वन प्राप्त करने, या
 - (ii) प्रतिरक्षण, या
 - (iii) किसी भ्रम्य व्यक्ति से प्रतिरक्षण प्राप्त करने, या
 - (iv) जाली दस्तावेजों या ऐसे दस्तावेजों, जिनमें गड़बड़ की गयी हो, के प्रस्तुत करने, या
 - (v) इस्ततः अथवा झूठे कथन करने या महत्व पूर्ण जानकारी के खिपाने, या
 - (vi) परीक्षा के लिए अपनी अध्ययिका के सम्बन्ध में किसी अन्य अनियमित साधनों का सहारा लेने, या
 - (vii) परीक्षा-हाल में भ्रनुचित साधन का उपयोग करने, या
 - (viii) परीका-हाल में दुर्व्यवहार करने, या
 - (ix) ऊपर के वाक्यों में बताये गए सभी कृत्यों या किसी एक कृत्य को, करने का प्रयास करने या उसके लिए अब-प्रेरित करने, जो भी स्थिति हो, का दोषी है तो वह स्वयं आपराधिक अभियोजन के दायित्वाधीन होने के अतिरिक्त :—
 - (क) उस परीक्षा के लिए संस्थान द्वारा अनर्ह समझा जा सकता है जिसका वह अभ्यर्थी है; या
 - (ख) (i) संस्थान द्वारा ली जाने वाली किसी परीक्षा या प्रवरण के लिए;
 - (ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा श्रपने मधीन किसी निवोजन के लिए स्थायी रूप से या किसी विनिर्दिष्ट भवधि के लिए विवर्जित किया जा सकता है; और

- (ग) उस पर समजित नियमों के प्रधीन ग्रनशासनिक कारंवाई की जा सकती है।
- 8. भ्रपनी भ्रभ्यायिता के लिए किसी श्रभ्यर्थी द्वारा किसी भी साधन से किया गया कोई प्रयास संस्थान द्वारा ऐसा भ्राचरण समझा भायेगा जो उसे प्रवेश के लिए भनहुं बना सकता है।
- 9. अभ्यर्थी के लिए आवश्यक होगा कि वह भरे हुए आवेदन पक्ष के साथ संस्थान को निम्नलिखित फीस का भगतान करे;
- 12.00 रुपये (ग्रनुस्चित ग्रीर श्रनस्चित जन जाति के श्रम्यर्थियों केमामले में 3.00 रुपये)
 - (ii) उत्तर्युक्त फीस का भुगतान 'सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबन्ध संस्थान' को देय ऋहस्य पोस्टल ग्राहर द्वारा किया जायेगा।
- 10. परीक्षा के बाद, हर प्रभ्यर्थी को प्रन्तिम रूप से विष् नए कुल ग्रंकों के अनुसार योग्यता के ग्राधार पर, संस्थान द्वारा अभ्यर्थियों की एक योग्यता-सूची बनायी जायेगी भौर उसी कम से उतने ग्रभ्यर्थियों की, जितने संस्थान द्वारा परीक्षा में ग्रहें समझे जाएं। सूचना के पैरा 5 (iii) के अन्तर्गत फीस में रियायत मांगने बासों को छोड़कर, उच्च श्रेणी पदकम की प्रवरसूची में शामिल करने के लिए सिफारिश की जायेगी।

परन्तु यदि अनुसूचित जाति श्रीर अनुसूचित अन जातियों के लिए आरिक्षित रिक्तियों सामान्य स्तर के भाधार पर भरते से रह जावें तो उन्हें भरते के लिए संस्थान द्वारा, स्तर में छूट देकर अनुसूचित जातियों श्रीर अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की सिफारिश की जा सकेगी, बशर्ते वे अभ्यर्थी उच्च श्रेणी पदक्रम की प्रवर सूची में शामिल किए जाने के योग्य हों, भले ही परीक्षा में योग्यता-क्रम में उनका स्थान कहीं भी हो।

टिप्पणी: — अभ्यंथियों को स्पष्ट रूप से यह समझ लेता चाहिए कि यह प्रतियोगिता परीक्षा है न कि चाईक परीक्षा। परीक्षा परिणाम के आधार पर उच्च श्रेणी पदकम की प्रवर सूची में कितने व्यक्तियों को शामिल किया जाये यह विनिश्चय करना पूर्णतः सरकार की सक्षमता के श्रन्तर्गत होगा। इसलिए इस परीक्षा में प्रदिशित योग्यता के आधार पर किसी अभ्यर्थी को प्रवर सूची में शामिल किए जाने का स्वतः अधिकार नहीं होगा।

- 11. प्रत्येक घम्यर्थी को परीक्षा परिजाम किस रूप में ग्रीर जिस खंग से भेजा जाये इस बात का निर्णय संस्थान स्विविक से करेगा भीर परिणाम के सम्बन्ध में संस्थान घम्यर्थी से कोई पक्ष-व्यवहार नहीं करेगा।
- 12. परीक्षा में सफलता से चयन का कोई प्रधिकार प्रदत्त नहीं होता जब तक कि ऐसी जांच के पण्चात ओ पावश्यक समझी जाये, सरकार का यह समाधान न हो जाये कि अभ्यर्थी चयन के शिए सभी सरह से पात भीर उपयुक्त है।
- 13. कोई भ्रम्यर्थी जो परीक्षा में प्रवेश के लिए भावेदन करने के बाद या उसमें बैठ चुकने के बाद रेखवे बोर्ड सचिवालय सेवा में भ्रपनी नियुक्ति से त्याग पन्न देता है या अन्यथा सेवा छोड़ आता है या उससे भ्रपना सम्बन्ध विच्छेद कर लेता है, या जितकी सेवायें उसके विभाग द्वारा समाप्त कर दी जाती है या जो संवर्ग वाइय

पद कर नियक्त किया जाता है या दूसरे पद पर अस्तरित किया जाता है और निम्नं श्रेगो पदकम में अपना स्वत्व (लियन) नहीं रखता, वह परीक्षा-परिणाम के आधार पर नियुक्ति का पाल नहीं होगा।

पर्वात उस निमन श्रेगो लिनिक के मामले में लागू नहीं होगी जो किसी संबर्ग-वाह्य पर पर, प्रतिनियुक्ति पर, सक्षम प्राधिकारी की ग्रनमति से नियुक्त हुग्रा हो।

> जी० एस० विषमधे, प्रवर सचिव, रेखवे बोर्ब।

परिशिष्ट

परीक्षा निम्नलिखित योजना के प्रनुसार ली जायेकी :---

भाग J---नीचे पैरा 2 में दिए गए विषयों में ऋधिकतम 300 शंकों की लिखित परीक्षा।

भाग II---उन अभ्यथियों के सेवा-कृत का मूल्यांकन, खिनके बारे में संस्थान स्वविवेक से ऐसा करने का विनिश्चय करे। यह मूल्यांकन अधिकतम 100 भंकों का होगा।

2. भाग I में लिखित परीक्षा के विषय, सनुमत समय भीर प्रत्येक प्रन-पत के लिए नियत सधिकतम संक नीचे बताए गए हैं:---

विषय .			म्रधिक दम श्रंक		धनुभव समय
(I) निबन्ध भौर सा (क) निबन्ध (ख) सार-ले (II) टिप्पण भौर दालेखन तथा	खन म सी -	•	50	100	2 घग्टे
पद्धति	•		100		2 षग्टे
(III) सामान्य ज्ञान	•	•	100		2 षस्टे

- 3. परीक्षा भाषाठ्यकम संखग्न धनुसूची के धनुसार होगा।
- 4. ग्रध्याँचयों को प्रथन पत्नों का उत्तर धंग्रेजी या हिन्दी (देवनागरी) में देने के विकल्प की धनुमति दो जाती है, लेकिन खर्त यह है कि इनमें से कम से कम एक प्रथन पत्न, धर्मात (I) निवन्ध और साए-लेखन या (II) टिप्पण भीए मसौदा तथा कार्यालय पद्धति, ध्रयना (III) सामान्य ज्ञान का उत्तर धंग्रेजी में दिया जाये।
 - टिप्पणी---1. विकल्प एक पूरे प्रश्न-पत्न के लिए होगा न कि उसी प्रश्न पत्न में विभिन्न प्रश्नों के लिए।
 - टिप्पणी---2 धभ्यर्थी जो उपरोक्त प्रश्न पत्नों के उत्तर हिन्दी (देवनागरी) में देने का विकल्प देने के इच्छुक हैं के धपने प्राणय की प्रार्थना पत्न

के कालम 5 में व्यक्त करें, श्रन्यथा यह समझा जायेगा कि वे सभी प्रक्तपत्नों के उत्तर श्रंग्रेजी में देंगे।

टिप्पणी—3. विकल्प जो एक बार विया जा चुका है उसे श्रन्तिम समझा जायेगा, श्रौर प्रार्थना पत्न के कालम 5 में परिवर्तन करने की किसी भी प्रार्थना पर ध्यान नहीं दिया जायेगा।

टिप्पणी---4. प्रश्न पत्न श्रंग्रेजी और हिन्दी दोनों में दिए जायेगे।

- 5. श्रम्यायियों के लिए यह श्रावश्यक है कि सभी प्रश्न पत्नों के उत्तर वे श्रपने हाथ रो लिखें। किसी भी स्थिति में उत्तर लिखने के लिए लिपिक की सहायता लेने की उन्हें श्रनुमित नहीं दी जायेगी।
- संस्थान को परीक्षा के किसी विषय प्रथवा सभी विषयों
 प्रहें क ग्रंक निर्धारित करने का ग्रिधकार होगा।
 - 7. क्रुकेवल वाहय ज्ञान के लिए कोई ग्रंक नहीं दिए जायेंगे।
- हे. लिखित विषयों में ग्रस्पच्ट लिखाई पर ग्रधिकतम
 ग्रंकों के 5 प्रतिशत तक की कटौती की जा सकती है।
- 9. परीक्षा में सभी विषयों में सुब्यवस्थित, प्रभावकारी श्रौर सटीक श्रिक्यिक्त के साथ-साथ क्षम से कम शब्दों में श्रपनी बात कहने के लिए श्रेय दिया जायेगा।

अमुसूची

परीक्षा का पाठ्यक्रम

- (1) निबन्ध श्रीर सार-लेखन
- (ख) सार-लेखन—भाम तौर पर सारांश श्रथवा सार के लिए उद्धरण दिया जायेगा।
- 2. टिप्पण श्रीर मसौदा लेखन तथा कार्यालय पद्धति टिप्पण श्रीर भसौदा-लेखन तथा कार्यालय पद्धति का प्रश्न पत्न, श्रभ्यर्थी के सचिवालय तथा सम्बद्ध कार्यालयों में कार्यालय पद्धति

के ज्ञान एवं सामान्यतः उनकी टिप्पण श्रीर महाँदा लिखने एवं समझने की योग्यता की जांच वारने के लिए तैयार किया जायेगा। इस प्रयोजन के लिए श्रम्यर्थी से रेलवे बोर्ड द्वारा जारी की गयी कार्यालय पद्धति नियमावली तथा लोकसभा श्रीर राज्य समा की पद्धति के नियम श्रीर कार्य संचालन का श्रध्ययन श्रीकित है।

3. सामान्य ज्ञान—सामान्य ज्ञान के प्रशन पत्न में अन्य बातों के साथ साथ अभ्यर्थी के भारत के भूगोल के ज्ञान एवं देश के शासनतन्त्र तथा वर्तमान राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय गतिविधियो की प्रबुद्ध जा वारी जैसी कि एक शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षित है परखने के लिए प्रशन पूछे जायेंगे। अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए उत्तरों से यह मुक्त होना चाहिए कि थे प्रश्नो को भली भांति समझते हैं और उनसे किसी पाट्य पुस्तक, रिपोर्ट आदि का स्यौरवार ज्ञान अमेक्षित नहीं है।

श्रम मतालय

नई दिल्ली, दिनत्क ७ मार्च 1975

संकल्प

सं० क्यू०-13012(5)/72-डब्ल्यू० ई०--प्रावकला समिति (पांचवी लोक समा) द्वारा उसकी चौथी रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के प्रनुसरण में, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय ने श्रमिक शिक्षा योजना की पुनरीक्षा करने श्रौर श्रमिकों, ट्रेड यूनियनों तथा नियोजकों पर इसके प्रशाव का मृल्यांकन करने तथा सरकार को छः महीने के भ्रन्दर सिफारिशों भरने के लिए संकल्प संख्या क्यू-13012(5)/72 डब्ल्यू० ई०, दिनांक 29 जुलाई, 1974 द्वारा श्रमिक शिक्षा पुनरीक्षा समिति नाम की एक समिति का गठन किया था। सरकार ने समिति की सिफारिशों को प्रस्तुत करने की समय-सीमा 31 जुलाई 1975 तक बढ़ाने का निर्णय किया है।

अरबेश

भादेश है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी संबंधितों को भेजी जाए ।

यह भी श्रादेश है कि यह संकल्प श्राम सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

हंस राज छाबड़ा, उप-सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 26th January 1975

No. 13-Pres/75.—The President is pleased to approve the award of the Param Vishisht Seva Medal to the undermentioned personnel for distinguished service of the most exceptional order:—

- 1. Lieutenant General Brijmohan Narain Das (IC 411), Engineers.
- 2. Lieutenant General Mohinder Singh Sandhu (IC 813). AOC.
- 3. Air Marshal Hrushikesh Moolgavkar, MVC (1644).
- 4. Major General Manohar Sadashiv Patankar (IC 1087), Inf (Retd).
- Major General Raghunath Singh Hoon (MR 235)
 AVSM, AMC.

- 6. Major General Bhaskar Mahadevan (MR 245), AVSM, AMC.
- 7. Major General Ishwar Chand Katoch (IC 631), Inf (Retd).
- 8. Major General Jasbir Singh Bawa (IC 438), AVSM, Engineers
- 9. Major General Krishna Datt Vasishta (IC 627), Arty (Reid).
 - 10. Major General Amreck Singh (IC 408), Arty (Retd).
- 11. Major General Harketh Chandra Gahlaut (IC 911), Inf.
 - 12. Major General Rajendra Prasad (IC 684), Arty.
 - 13. Major General Shyam Sunder Kaul (IC 2798), Inf.
- 14. Major General Ranjit Lal Chopra (IC 3315), Armd Corps.

- 15. Major General Om Parkash Datta (IC 857), AVSM, Engineers.
- No. 14-Pres/75.—The President is pleased to approve the award of the Ail Vishisht Seva Medal to the undermentioned personnel for distinguished service of an exceptional order:—
- 1. Brigadier Balraj Bihari Mathui (IC 5012), A.O.C. (Reid).
 - 2. Brigadier Jagdish Chandra Handa (IC 1527), A.O.C.
 - 3. Brigadier Codanda Medappa Cariappa (IC 1130), Inf.
 - 4. Brigadier Joseph John Denis Lobo (MR 318), A.M.C.
 - 5. Brigadier Thomas Satya Das (MR 316), A.M.C.
- 6. Brigadier Potheri Cheruvari Balakrishnan (IC 4687) Intelligence Corps (Retd).
 - 7. Brigadier Narinder Singh (IC 1221), Garhwal Rilles.
- 8, Brigadier Karampat Sankara Menon (IC 5487), A.E.C. (Retd).
 - 9. Brigadier Sharat Chandra Das (IC 1474), A.O.C. (Retd)
- 10. Brigadier Narayan Akram Patil (IC 1520). Signals (Retd).
 - 11. Brigadier Rajinder Pal Saigal (IC 1131), Infantry (Reid).
 - 12. Brigadier Joseph Victor Pinto (IC 649). Signals (Redd)
 - 13. Brigadier Arjun Deo Agarwal (IC 4204), F.M.E. (Reid).
- 14. Brigadier Kewal Krishan Khanna (IC 1332). Arty (Rtd).
- 15. Brigadier Panna Lal Chatterjee (IC 1366), A.O.C (Retd).
 - 16. Brigadier Ajit Kumar Mitra (IC 3338), Inf.
 - 17. Brigadier Velupillai Krishnan Nair (IC 3209), Artv.
 - 18. Brigadier Manohar Singh Uberoi (IC 1353, Arty.
 - 19. Brigadier Krishnaswamy Srinivasan (IC 2722), Arty.
 - 20. Brigadier Gurbachan Singh (IC 2541), Arty.
 - 21. Brigadier Gopal Sita Ram Wakankar (IC 532), Arty.
 - 22. Brigadier Sri Krishan Batra (IC 1218), Signals.
 - 23. Brigadier Harnam Singh (IC 2923), A.S.C.
 - 24. Brigadier Shanti Narain Pandit (IC 3269), A.O.C.
 - 25. Brigadier Permanand (IC 6318), F.M.E.
 - 26. Brigadier Ajit Singh (IC 1524), Signals.
 - 27 Brigadier Amar Singh (IC 2905), A.S.C.
 - 28. Brigadier Shiri Patti Datta (IC 855), A.O.C.
- 29. Commodore Radhakrishin Hariram Tahiliani (X) (00050-N) 1.N.
 - 30. Commodore Lakshmi Datt Tewari (L) (50007-A) LN.
 - 31. Commodore Ram Kumar Chopra (S) (60005-Z) I.N.
 - 32. Air Commodore Devendra Nath Gupta (2703), Medical
 - 33. Air Commodore Walter Joseph Fernandes (2713), P(P)
- 34. Colonel (Miss) Thankamma Zachariahs (NR-17225). M.N.S. (Retd).
- 35, Colonel Ramprakash Gokal Chand Sawhney (IC 1596) Arty.
 - 36, Colonel Hargoolal (IC 6068), Arty,
- 37. Captain Padavupuraekal Chandy Andrews, Vr. C. (X) (00045-A), L.N.
 - 38. Captain Krishan Lal Chopra, VSM, (X) (00068-B), 1 N 39. Captain Gopal Chandra Mitra (F) (40015-T), LN,
 - 39. Captain Gopal Chandra Mitra (F) (40015-T), I.N. 511GI/74

- 40. Surgeon Captain James Thomas Marshall (75004-N), I.N. (Retd).
- 41. Surgeon Captain Mallapragada Chiuna Ramalingeshwara Rao (75011-B), I.N.
- 42, Group Captain Peter Dennis Antony Albuquerque (3813), AE(L)
 - 43. Group Captain Kanwar Krishan Bali (3816), AE(L).
 - 44. Group Captain Sanat Kumar Mitra (3870), F(P).
- 45. Group Captain Man Mohan Singh, Vr., C. (4023), F(P).
- 46. Lieutenant Colonel Prem Prakash Subherwal (IC 7747), Engineers.
 - 47. Wing Commander Partha Kumar Dey (4404), F(P).
 - 48. Wing Commander Inderjit Singh Sandhu (4790), F(P).
- No. 15-Pres/75.—The President is pleased to approve the award of the Vishisht Seva Medal to the undermentioned personnel for distinguished service of a high order:—
 - 1. Colonel Ranjit Kumar Gupta (MR 707), AMC (Retd).
 - 2. Colonel Godiwalia Gev Sornbji (MR 292) AMC (Retd).
- 3. Lieutenant Colonel (Hony, Col) Moolehand Shrivastav (TA 40317) Arty (TA).
- 4. Lieutenant Colonel Linus Aloysius Patric Sequeira (IC 7387), Arty.
- 5. Lieutenant Colonel Krishan Sarup Khurana (IC 6789), Fngineers.
- 6. Lieulenant Colonel Om Parkash Sharma (IC 5928). Rai Rifles.
- 7. Licutenant Colonel Hargobind Singh (IC 7004), Mahar Regt.
- 8. Lieutenant Colonel Pursholtam Kumar Khanna (MR 979) A.M.C.
 - 9. Lieutenant Colonel Hari Nath Seth (MR 634), A.M.C
- Licutenant Colonel Kanwar Malkiat Singh Panwar (IC 1771) AOC (Retd).
- 11 Lieutenant Colonel Dharam Bir Nayar (DR 10014) Army Deutal Corps.
- 12. Lieutenant Colonel Manabendra Kishore Paul (IC 7959),
 - 13. Lieutenant Colonel Ombir Singh (IC 6401). Engineers
- 14 Commander Chittaghat Stanley John (E) (40097-B), LN.
- 15. Commander Achanta Veukata Rama Narayana Rao (50077-K), I.N.
 - 16. Commander-At-Arms Kundan Lal (X) (00244-B) I.N.
- 17, Surgeon Commander Surender Nath Luthra (D) (79803-A) I. N.
 - 18 Wing Commander Krishan Murari Rishi (3986), Accts.
- 19. Wing Commander Bana Behari Bhattacharjee (3999) Fdn.
- 20. Wing Commander Gowrishanker Narayan Baindur (4064) AEM).
 - 21, Wing Commander Vinay Kumar Vaish (4184), Lgs.
 - 22 Wing Commander Rathindra Nath Sen (4374) AE(1).
- 23. Wing Commander Dharam Singh Gupta (4643) Edn
- 24 Wing Commander Kshounish Chandra Sinha (4856) Med
 - 25. Major Ram Krishna Rai (IC 14239) Raj. Rifles
 - 26, Major Narendva Bahri (IC 12029) Guards.
 - 27. Major (Miss) Greta Sylva (NR 12167) MNS.

- 28. Lieutenant Commander Vijay Kumar Tuli (X) (00349-T) I.N.
 - 29. Lieutenant Commander Mehar Singh (E) (40091-R) I.N.
- 30. Lieutenant Commander (SDME) Krishna Sadasheo Durge (85006-W), I.N.
- 31. Lieutenant Commander (SDS), Chakkingal Narayanan (88502-R), I.N.
 - 32. Squadron Leader Harsh Kumar Kaushal (5547), AE(L).
 - 33, Squadron Leader Mrinal Kanti Som (5637). ADM.
 - 34. Squadron Leader Om Dutt Sharma (5816), Lgs.
- 35. Captain (Miss) Indu Sham Rao Khedekar (NR-12995),
- 36. Captain Padmanabhan Nair Pookkot Madham (SL 674) Signals.
 - 37. Lieutenant Ravinder Kumar (ED) (70106-F), IN.
- 38. Lieutenant (SDP) Gurcharan Das Sharma (86816-H) I.N.
- 39. Flight Lieutenant Prosanta Kumar Mukherjee (7324) AE(M).
 - 40. Parameswaran Nair, MCPO I (TAS J) No. 18671, I.N.
- 41. Kondapurath Ramankutty Nair, MCPO (CK) I. No. 26943, I.N.
 - 42, 29565 MWO Madavi Venkatram Vaidya Clk/GD.
 - 43, 45089 MWO John Bala Chandran, GTI.
 - 44. 204098 MWO Maha Singh Dahiya, Radar Mech.
 - 45. JC 53553 Sub. Phuman Slingh, Sikh Light Infantry.
 - 46. JC 53673 Sub. Sher Singh, Engr. Regt,
- 47. Ramanathan Somasundaram Natarajan, CPO (ME) No. 60455, I.N.
 - 48. 18718 WO Muthu Mark Oliver, Fit. I,
 - 49. 31684 WO Diwan Chand, Fit. I.
 - 50, 47308 WO Elamkulathu Narayanan Nair, (ACH/GD).
 - 51. 204133 Flight Sergeant Sain Dass, Inst. Rep I.
 - 52. 236722 Sergeant Deba Prosad Roy, Radar Mech.
 - 53, 250805 Corporal Kaippilly Radhakrishnan, Fit. II A.

The 19th March 1975

No. 16-Pres./75.—The award of Vayu Sena Medal to Wing Commander Suraj Prakash Dutt (3649) General Duties (Pilot), which was announced in Notification No. 18-Pres/69, dated the 26th January, 1969, is hereby cancelled.

K. BALACHANDRAN, Secretary to the President

CABINET SECRETARIAT

DEPARTMENT OF PERSONNEL & A.R.

New Delhi, the 29th March 1975

No. 5/25/74-CS(I).—Corrigendum to the Rules for the Section Officers' Grade Limited Departmental Competitive Examination, 1975 notification under the Department of Personnel and Administrative Reforms Notification No. 5/25/74-CS(I), dated 22-6-1974, published in the Gazette of India dated 22-6-1974.

- (1) Rule 4 of the Rules should read as under :--
- "4. Any permanent or regularly appointed temporary officer of the Assistants' Grade of the Central Secretariat Service or of Grade II of the Central

Secretariat Stenographers' Service, who on 1st January, 1975 satisfies the following conditions shall be eligible to appear at the examination:—

(1) Length of Service.—He should have rendered not less than five years approved and continuous service in the Assistants' Grade in the Central Secretariat Service or in Grade II of the Central Secretariat Stenographers' Service or in both, as the case may be.

Note.—Any permanent or regularly appointed temporary officer of the Assistants' Grade of the Central Secretariat Service or of Grade II of the Central Secretariat Stemographers' Service who joined the Armed Forces during the period of operation of the proclamation of the Emergency issued on 26th October, 1962, namey 26th October, 1962 to 9th January, 1968, would on reversion from the Armed Forces, be allowed to count the period of his service (including the period of training, if any) in the Armed Forces towards the prescribed minimum Service.

- (2) Age.—(a) He should not be more than 45 years of age, i.e., he must not have been born earlier than 1st January, 1930.
- (b) The age limit prescribed above will be relaxable in the case of a permanent or regularly appointed temporary officer of the Assistants' Grade of the Central Secretariat Service or of Grade II of the Central Secretariat Stenographers' Service who joined the Armed Forces during the period of operation of the proclamation of Emergency issued on 26th October, 1962, namely 26th October, 1962 to 9th January, 1968, and who has reverted therefrom, to the extent of the period of his service (including the period of training, if any) in the Armed Forces.
 - (c) The age limit prescribed will be further relaxable:
 - up to a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe,
 - (ii) up to a maximum of three years if a candidate is a bona fide displaced person from erstwhile East Pakistan and had migrated to India on or after 1st January, 1964 but before 25th March, 1971;
 - (iii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a bona fide displaced person from erstwhile East Pakistan and had migrated to India on or after 1st Jaguary, 1964 but before 25th March, 1971;
 - (iv) up to a maximum of three years if a candidate is a resident of the Union Territory of Pondicherry and has received education through the medium of French at some stage
 - (v) up to a maximum of three years if a candidate is a resident of the Union Territory of Goa, Daman and Diu;
 - (vi) up to a maximum of three years if a candidate is a hona fide repatriate of Indian origin from Sri Lanka (formerly known as Ceylon) and has migrated to India on or after 1st November, 1964 under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;
 - (vii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a bona fide repatriate of Indian origin from Sri Lanka (formerly known as Ceylon) and has migrated to India on or after 1st November, 1964, under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

- (viii) up to a maximum of three years if a candidate is of Indian origin and bas migrated from Kenya, Uganda or the United Republic of Tanzania, (formerly Tanganyika and Zanzibar);
- (ix) up to a maximum of three years if a candidate is a bona fide repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963,
- (x) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a bona fide repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;
- (xi) up to a maximum of three years in the case of Defence Services personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof; and
- (xii) up to a maximum of eight years in the case of Defence Services personnel, disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof, who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes;

SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMIT PRESCRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED.

Note 1.—Assistants/Stenographers Grade II who are on deputation to ex-cadre posts with the approval of the competent authority will be eligible to be admitted to the examination, if otherwise eligible.

This, however, does not apply to an Assistant/Stenographer who has been appointed to an ex-cadre post or to another Service on "transfer" and does not have a lien in the Assistants' Grade/Stenographers' Grade II, as the case may be.

Note 2.—Assistants of the Central Secretariat Service and Stenographers of the Central Secretariat Stenographers' Service, who have opted for appointment to the I.F.S. (B) and have been appointed to any grade of that Service in pursuance of such option shall not be eligible for admission to the examination.

Note 3.—In the case of a Scheduled Caste Assistant given ad hoc promotion with the benefit of "deemed" date of promotion during the period 14th April, 1952 to the 30th April, 1954, his actual date of promotion as Assistant will be taken into consideration for computing the length of service in the Assistants' Grade for the purpose of the above rule.

(2) Rule 12 of the Rules should read under :-

"12. A candidate, who after applying for admission to the examination or after appearing at it, resigns his appointment in the Central Secretariat Service or the Central Secretariat Stenographers' Service, as the case may be, or otherwise quits the Service or severs his connection with it, or whose services are terminated by his Department or who is appointed to an ex-cadre post or to another Service on 'transfer' and does not have a lien in the Assistants' Grade or the Stenographers' Grade, as the case may be, will not be eligible for appointment on the results of this examination.

This, however, does not apply to an Assistant/ Stenographer Grade II who has been appointed on deputation to an ex-cadre post with the approval of the competent authority."

RULES

No. 12/2/75-CSII.—The rules for a limited departmental competitive examination for inclusion in the Select List for Grade II of the Central Secretariat Stenographers Service, Grade II of the Stenographers Subcadre of Indian Foreign Service (B) and Grade II of the Armed Forces Headquarters Stenographers' Service to be held by the Institute of Secretariat Training & Management in 1975, are published for general information.

- 2. The number of persons to be selected for inclusion in the select list will be specified in the Notice issued by the Institute.
- 3. The examination will be conducted by the Institute of Secretariat Training & Management in the manner prescribed in Appendix to these Rules.

The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Institute.

- 4. Conditions of eligibility.—Any permanent or temporary regularly appointed officer belonging to Grade III of the Central Secretariat Stenographers' Service/Armed Forces Headquarters Stenographers' Service (B) who satisfies the following conditions shall be eligible to appear at the examination and compete for vacancies in his Service only i.e. Grade III Stenographers of the Central Secretariat Stenographers' Service will be eligible for vacancies in Grade II of that Service, and Grade III. Stenographers of the Stenographers' Sub-Cadre of the Indian Forcing Service (B) will be eligible for vacancies in Grade II of the Stenographers' Sub-Cadre of the Indian Forcing Service (B) and the Grade III, Stenographers of the Armed Forces Headquarters Stenographers' Service will be eligible for vacancies in Grade II of the Armed Forces Headquarters Stenographers' Service will be eligible for vacancies in Grade II of the Armed Forces Headquarters Stenographers' Service.
- (a) Length of service.—He should have, on the crucial date, i.e. on 1-1-1975 rendered not less than three years' approved and continuous service in Grade III of the Service.

Provided that a Grade III Senographer of he AFHQ Stenographers Service who has not rendered approved and continuous service of three years as a Grade III Stenographer of that Service on the 1st January 1975 but has rendered approved and continuous service of three years as a Grade III Stenographer of that Service on the 1st August, 1975 will be eligible for admission to this examination as a special case. This relaxation would be admissible for the examination to be held in 1975 only.

- Note.—Grade III officers who are on deputation to excadre posts with the approval of the competent authority, and those having a lien in Grade III of the Central Secretariat Stenographers' Service/Stenographers' Sub-Cadre of the Indian Foreign Service (B)/Armed Forces Headquarters Stenographers' Service, will be eligible to be admitted to the examination, if otherwise eligible.
- (b) Age.—He should not be more than 45 years of age on the 1st January, 1975 i.e. he must not have been born earlier than 2nd January, 1930.
- (c) The upper age limit prescribed above will be further relaxable—
 - up to a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe:
 - (ii) up to a maximum of three years if a candidate is a bona fide displaced person from erstwhile East Pakistan (now Bangladesh) and

- high migrated to India on or after 1st January, 1964 (but before 25th March, 1971);
- (iii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a bona fide displaced person from erstwhile East Pakistan (now Bangladesh) and has migrated to India on or after 1st January, 1964 (but before 25th March, 1971);
- (iv) up to a maximum of three years if a candidate is a bona fide repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November, 1964 under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;
- (v) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a bona fide repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November, 1964 under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964:
- (vi) up to a maximum of three years if a candidate is a resident of the Union Territory of Goa, Daman and Diu;
- (vii) up to a maximum of three years if a candidate is of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibai);
- (viii) up to a maximum of three years if a candidate is a bona fide repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;
- (ix) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled I ribe and is also a bona fide repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;
- (x) up to a maximum of three years if a candidate Defence Service personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof; and
- (xi) up to a maximum of eight years in the case of Defence Service personnel disabled in operation during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof, and who belongs to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes.
- (xii) up to a maximum of three years in the case of Border Security Force personnel disabled in operations during the Indo-Pakistan hostilities of 1971 and released as a consequence thereof; and
- (xiii) up to a maximum of eight years in the case of Border Security Force personnel disabled in operations during the Indo-Pakistan hostilities of 1971 and released as a consequence thereof, who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes.

SAVE AS PROVIDED ABOVE, THE LIMITS PRE-SCRIBED ABOVE SHALL IN NO CASE BE RE-LAXED

(d) Stenography Test—Unless exempted from passing the Institute's Stenography Test for the purpose of confirmation or continuance in Grade III of the Central Secretariat Stenographers' Service/Stenographers'

- Sub-Cadre of Indian Foreign Service (B)/Armed Forces Headquarters Stenographers' Service he should have passed this Test on or before the date of notification of this examination.
- Note.—Grade III Stenographers who are on deputation to ex-cadre posts with the approval of the competent authority and those having a lien in Grade III of the Service will be eligible to be admitted to the examination, if otherwise eligible.

This, however, does not apply to a Grade III Sterre grapher who has been appointed to an ex-cadre post or to another Service on "transfer" and does not have a lien in Grade III of the Central Secretariat Stenographers' Service/Stenographers' Sub-Cadre of Indian Foreign Service (B)/Armed Forces Hendquarters Stenographers' Service.

- 5. The decision of the Institute as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.
- 6. No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Institute
- 7. Candidates must pay the fee prescribed in para 5 of the Institutes' Notice,
- "A candidate who is or has been declared by the Institute to be guilty of—
 - (i) obtaining support for his candidature by any means, or
 - (ii) inpersonating, or
 - (iii) procuring impersonation by any person, or
 - (iv) submitting fabricated documents or documents which have been tampered with, or
 - (v) making statements which are incorrect or fulse, or suppressing material information, or
 - (vi) resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature for the examination, or
 - (vii) using unfair means in the examination hall,
 - (viii) misbehaving in the examination hall, or
 - (ix) attempting to commit or, as the case may be, abetting the commission of all or any of the acts specified in the forgoing clauses.

may, in addition to rendering himself liable to criminal prosecution, be liable:

- (a) to be disqualified by the Institute from the examination for which he is a candidate; or
- (b) to be debarred either permanently or for a specified period—
 - (i) by the Institute, from any examination or selection held by them;
 - (ii) by the Central Government, from any employment under them; and
- (c) to disciplinary action under the appropriate rules.
- 10. After the examination, the candidates will be arranged by the Institute, in three separate lists, in the order of merit, as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate; and in that order so many candidates as are found by the Institute to be qualified by the examinations shall be recommended for inclusion in the Select List of Grade II of the Central Secretariat

Stenographers' Service Stenographers' Sub-Cadre of Indian Foreign Service (B) and Armed Forces Headquarters Stenographers' Service up to the required number.

- Note.—Candidates should clearly understand that this is a competitive and not a qualifying examination. The number of persons to be included in the Select List for Grade II of the Central Secretariat Stenographers' Service and Stenographers' Sub-Cadre of Indian Foreign Service (B) and Grade II of the Armed Forces Headquarters Stenographers' Service on the results of the examination is entirely within the competence of Government to decide. No candidate will, therefore have any claim for inclusion in the Select List on the basis of performance in this examination as a matter of right,
- 9. The torm and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Institute in its descretion and the Institute will not enter into correspondence with them regarding the result.
- 10. Success in the examination confers no right to selection unless Government are satisfied after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate is eligible and suitable in all respects for selection.
- 11. A candidate, who after applying for admission to the examination or after appearing at it, resigns his appointment in the Central Secretariat Stenographers' Service or Stenographers' Sub-Cadre of Indian Foreign Service (B) or Armed Forces Headquarters Stenographers' Service or otherwise quits the Service or severs his connection with it, or whose services are terminated by his Department or who is appointed to an ex-cadre post or to another service on "transfer" and does not have a lien in Grade III of the Central Secretariat Stenographers' Service or Grade III of Stenographers' Sub-Cadre of Indian Foreign Service(B) or Armed Forces Headquarters Stenographers Service will not be eligible for appointment on the results of this Examination,

This, however, does not opply to a Grade III Stenographer who has been appointed on deputation to an excadre post with the approval of the competent authority.

K. B NAIR, Under Secretary

APPENDIX

The subjects of the written examination and the maximum marks for each subject will be as follows:---

PART A-WRITTEN TEST

	Subject		Time	allowed	Maxi, Marks.
(i)	English		3	hrs.	100
(ii)	General	Knowledge	, . 3	hrs.	100

 Part B. ~SHORTHAND TIST IN HINDI OR IN ENGLISH (FOR THOSE WHO QUALIFY AT THE WRITTEN TEST). 200 $M_{\rm Hi} ks$

Norr.--Candidates will be required to transcribe their shorthand notes on typewriters and for this purpose they will be required to bring their own typewriters with them.

Part C.—Evaluation of record of service of such of the candidates as may be decided by the Institute in their discretion carrying a maximum of 100 marks.

- 2. The syllabus for the Written Test and the scheme of the Shorthand Tests will be as shown in the Schdeule to his Appendix.
- 3. Candidates are allowed the option to answer paper (ii) General Knowledge of the Written Test either in Hindi (Devanagari) or in English. The option will apply to the complete paper and not to a part thereof.

CANDIDATES WHO OPT TO ANSWER THE AFORESAID PAPER IN HINDI (DEVANAGARI) WILL BE REQUIRED TO TAKE THE SHORTHAND TEST ALSO IN HINDI (DEVANAGRI) ONLY; AND CANDIDATES WHO OPT TO ANSWER THE AFORESAID PAPER IN ENGLISH WILL BE REQUIRED TO TAKE THE SHORTHAND TESTS ALSO IN ENGLISH ONLY.

Note 1.—Candidates desirous of exercising the option to answer paper (ii) General Knwoldege of the Written Test and take Shorthand Tests in Hindi (Devanagari), should indicate their intention to do so in Col. 6 of the application form. Other wise, it will be assumed that they will take the Written Test and Shorthand Tests in English.

The option once exercised shall be treated as final, and no request for alteration in the said column shall be ordinarily entertained.

- Note 2.—Candidates who opt to take the shorthand tests in Hindi will be required to learn English stenography, and vice versa after their appointment.
- Note 3.—A candidate wishing to take the examination at an Indian Mission abroad and exercising the option to answer paper (ii) General Knowledge and take the Stenography Tests in Hindi in terms of para 3 above, may be required to appear at his own expense, for the Stenography Tests at any Indian Mission abroad where necessary arrangements for holding such tests are available.
- Note 4.—No credit will be given for answers written on Shorthand test taken in a language other than the one opted by the candidate.
- 4. Paper (i) English of the Written Test, must be answered in English by all candidates.
- 5. Candidates who satisfy the minimum qualifying standard in the dictation at 120 words per minute will rank above the candidates who obtain the same standard in the dictation at 100 words per minute, persons in each group being arranged inter ve in order of their merit as disclosed by the aggregate marks awarded to each candidate (cf. Part B of the Schedule below)
- 6. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances will they be allowed the help of a scribe to write answers for them.
- 7. The Institute have discretion to fix qualifying marks in any or all subjects of the examination.
- 8. Only those caudidates who obtain such minimum qualifying marks in the written test as may be fixed by the Institute in their discretion will be called for shorthand test.
- 9. Marks will not be allotted for mere superficial knowledge.
- 10. Deduction up to 5 per cent of the maximum marks for the written subjects will be made for illegible handwriting.
- 11. Credit will be given for orderly, effective and exact expression, combined with due economy of words in all subjects of the examination,

SCHEDULE

Standard and syllabus of the written test

PART---A

NOTE.—The standard of the question papers in Part A will be approximately that of the Matriculation examination of an Indian University.

English.—The paper will be designed to test the candidates' knowledge of English Grammar and Composition and generally their power to understand and ability to write correct English. Account will be taken of arrangement general expression and workmanlike use of the language. The paper may include question on essay writing; precis writing; drafting; correct use of words; easy idoms and propositions; direct and indirect speech, etc.

General Knowledge.—Some knowledge of the Constitution of India, Five Year Plans, Indian History and Culture, General and Economic Geography of India, current events, everyday science and such matters of every day observation as may be expected of an educated person. Candidates' answers are expected to show their intelligent understanding of the questions and not detailed knowledge of any text book.

PART-B

Scheme of Shorthand Tests

The Shorthand Tests in English will comprise two dictation tests, one at 120 words per minute for seven minutes and another at 100 words per minute for ten minutes which the candidates will be required to transcribe in 5 and 50 minutes respectively.

The Shorthand Tests in Hindi, will coprise two dictation tests, one at 120 words per minute for seven minutes and another at 100 words per minute for 10 minutes which the candidates will be required to transcribe in 45 and 50 minutes respectively.

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY PLANNING (DEPARTMENT OF FAMILY PLANNING)

New Delhi, the 25th February 1975 RESOLUTION

No. N. 13023/13/74-IUD./1.—In supersession of the Ministry of Health and Family Planning (Department of Family Planning) Resolution No. 1-11/72-IUCD, dated the 20th December, 1972, the Government of India has decided to reconstitute the Committee to advise Government on all technical problems connected with Family Planning Programme in the field.

2. The composition of the reconstituted committee shall be follows:—

Chairman

1. Commissioner (FP & MCH).

Members

- 2, Commissioner (RHS), Dte. GHS.
- Director, National Institute of Family Planning, New Delhi.
- Director General, Indian Council of Medical Research or his representative.

- President, Federation of Obstetrics & Gynaccological Society of India or his representative (Dr. C. L. Jhaveri Jya Deep, 224, Lady-Harding Road, Matunge, Bombay-16).
- Dr. I. Bhooshna Rao, Prof. and Head of the Department of Forensic Medicines, Medical College, Belgaum.
- Dr. Raghvendra Rao, Director of Health Services.
 F.P. Andhra Pradesh, Hyderabad.
- 8. Dr. G. P. Srivastava, Director of Medical & Health Services, U.P., Lucknow.
- Dr. P. R. Sondhi, Director of Health Services, Govt. of Haryana, Chandlgarh.
- Dr. K. Y. Shrikhande, F.R.C.S., Director of Health Services, Madhya Pradesh, Bhopal.
- Dr. P. K. Devi, Research Sabbatical, Institute of Reproductive Biology, Jehangir Marwanji Street, Parel, Bombay-12.
- Dr. B. N. Purandare, Dean, Nowrosjee Wadia Maternity Hospital, Acharya Dhonde Marg, Parel, Bombay-12.
- Dr. V. N. Shrikhande, F.R.C.S., Dhuru Tarrace, N. C. Kelkar Road, (near Tilak Bridge), Dadar. Bombay-400028.

Member Secretary

- 14. Deputy Commissioner (TO) Department of Family Planning.
- 3. The terms of reference of the Committee shall be to consider and advise Government on all problems including administrative, organisational and technical aspects connected with the Family Planning Programme in the field with particular reference to IUD and sterilisation procedures, M.T.P. and oral contraceptives.
- 4. The Committee shall have power to ce-opt/invite experts of the concerned aspects of the programme to attend its meetings.
 - 5. The life of the Committee shall be one year.
- 6. Non-official members of the Committee shall be entitled to the grant of travelling and daily allowances for attending the meetings of the Committee at the rates admissible to an officer of the highest grade in Cass I c the Central Services. Members of the Committee who are Government servants will draw travelling and daily allowances as admissible to them from the same sour from which they get their pay.
- 7. The expenditure involved is to be met from within the sanctioned budget grant under "Demand No. 42 Family Planning, Major Head 281-B Family Planning B. 1(I)—Technical Wing at Headquarters B, 1(I) (3. Travel Expenses 1974-75".

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all the State Governments.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for General Information

SERLA GREWAL

Joint Secy. & Commissioner (FP)

MINISTRY OF RAILWAYS (RAILWAY BOARD)

Rules for Upper Division Grade (Railway Board) Limited Departmental Competitive Examination, 1975

New Delhi, the 22nd March 1975

No. E75061/RB3.—The rules for a limited departmental competitive examination for inclusion in the Select List for the Upper Division Grade of the Railway Board Secretariat Clerical Service to be held by the Institute of Secretariat Training & Management in September, 1975 are published for general information.

2. The number of persons to be selected for inclusion in the Select List will be specified in the Notice issued by the Institute. Reservations shall be made for candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in respect of vacancies as may be fixed by the Government.

respect of vacancies as may be fixed by the Government.

Scheduled Castes/Tribes mean any of the Castes/Tribes mentioned in the Scheduled Castes/Tribes Lists (Modification) Oder, 1956 read with the Bombay Re-organisation Act, 1960, the Punjab Re-organisation Act, 1966, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Act, 1956, the Constitution, (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order 1956, the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962, the Constitution (Pondicherry) Scheduled Tribes Order, 1964, the Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967, the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968, the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968, and the Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970.

3. The examination will be conducted by the Institute of

3. The examination will be conducted by the Institute of Secretariat Training and Management in the manner prescribed in the Appendix to these Rules.

The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Institute.

- 4. Any permanent or regularly appointed temporary officer of the Lower Division Grade of the Railway Board Secretariat Clerical Service, who satisfies the following conditions shall be eligible to appear at the examination:—
- (1) Length of Service.—He should have rendered on the 1st January, 1975 a continuous service of not less than 5 years in the Lower Division Grade of the Railway Board Secretariat Clerical Service.
- Note 1.—The limit of five years of approved and continuous service will also apply if the total reckonable service of a candidate is partly as a Lower Division Clerk and partly as Upper Division Clerk in the Railway Board Secretariat Clerical Service.
- Note 2.—Any permanent or regularly appointed temporary Lower Division Clerk of the Railway Board Secretariat Clerical Service who joined the Armed Forces during the period of operation of the proclamation of Emergency issued on 26th October, 1962, namely, 26th October, 1962 to 9th January, 1968 would on reversion from the Armed Forces be allowed to count the period of his service (including the period of training, if any) in the Armed Forces towards the prescribed minimum service.
- Note 3.—The Lower Division Clerks who are on deputation to ex-cadre posts with the approval of the competent authority will be eligible to be admitted to the examination, if otherwise eligible. This however, does not apply to Lower Division Clerk, who has been appointed to an ex-cadre post or to another Service on "transfer" and does not have a lien in the Lower Division Grade of the Railway Board Secretariat Clerical Service.
- (2) Age.—(a) He should not be more than 45 years of age on 1st January, 1975 i.e. he must not have been born earlier than 2nd January, 1930.
- (b) The age limit prescribed above will be relaxable in the case of a permanent or regularly appointed temporary officer of the Lower Division Grade of the Railway Board Secretariat Clerical Service who joined the Armed Forces during the period of operation of the Proclamation of Emergency issued on 26th October, 1962, namely 26th October, 1962 to

- 9th January, 1968 and who has reverted therefrom to the extent to the period of his service (including the period of training if any) in the Armed Forces,
- (c) The age limit prescribed above will be further relax-
 - (i) up to a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;
 - (ii) up to a maximum of three years if a candidate is a bona fide displaced person from Bangladesh (formerly East Pakistan) and has migrated to India on or after 1st January, 1964, but before 25th March, 1971;
 - (iii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a bona fide displaced person from Bangladesh (formerly East Pakistan) and has migrated to India on or after 1st January, 1964, but before 25th March, 1971;
 - (iv) up to a maximum of three years if a candidate is a bona fide repatriate of Indian origin from Sri Lanka (formerly Ceylon) and has migrated to India on or after 1st November 1964, under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;
 - (v) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a bona fide repatriate of Indian origin from Sri Lanka (formerly Ceylon) and has migrated to India on or after 1st November, 1964 under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;
 - (vi) up to a maximum of three years if a candidate is of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar);
 - (vii) up to a maximum of three years if a candidate is a bona fide repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963:
 - (viii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a bona fide repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;
 - (ix) up to maximum of three years in the case of Defence Service personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof;
 - (x) up to a maximum of eight years in the case of Defence Service personnel, disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes;
 - (xi) up to a maximum of three years if a candidate is a resident of the Union Territory of Goa, Daman and Diu;
 - (xii) up to a maximum of three years in the case of Border Security Force personnel disabled in operations during the Indo-Pakistan hostilities of 1971 and released as a consequence thereof; and
 - (xiii) up to a maximum of eight years in the case of Border Security Force personnel disabled in operations during the Indo-Pakistan hostilities of 1971 and released as a consequence thereof who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes.

SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMIT PRESCRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED.

(3) Typewriting Test.—Unless exempted from passing the Monthly/Quarterly Typewriting Test held by Union Public Service Commission/Secretariat Training School/Institute of Secretariat Training and Management for the purpose of confirmation, in the Lower Division Grade, he should have

passed this test on or before the date of notification of this examination.

- 5. The decision of the Institute as to the eligibility of otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.
- 6 No candidate will be admitted to the examination unless be holds a certificate of admission from the Institute.
- 7 A candidate who is or has been declared by the Institute to be guilty of-
 - (i) obtaining support for his candidature by any means, or
 - (ii) impersonating, or
 - (iii) procuring impersonation by any person, or
 - (iv) submitting fabricated documents of documents which have been tempered with, or
 - (v) making statements which are incorrect or false, or suppressing material information, or
 - (vi) resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature for the examination. or
 - (vii) using unfair means in the examination hall, or
 - (viii) misbehaving in the examination hall, or
 - (ix) attempting to commit or, as the case may be, abetting the commission of all or any of the acts specified in the foreign clauses.

may, in addition to rendering himself liable to criminal prosecution, be liable:—

- (a) to be disqualified by the Institute from the examination for which he is a candidate; or
- (b) to be debarred either permanently or for a specified period:—
 - (i) by the Institute, from any examination of selection held by them;
 - (ii) by the Central Government, from any employment under them; and
- (c) to disciplinary action under the appropriate rules.
- 8. Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the institute to be a conduct which would disqualify him for admission to the examination.
 - 9. (i) Candidates must pay the following fee to the Institute with the completed application form:
 - Rs. 12.00 (Rs. 3 00 in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes).
 - (ii) The fee mentioned above should be paid by means of CROSSED Indian Postal Orders payable to the 'Institute of Secretariat Training & Management'.
- 10. After the examination, the candidates will be arranged by the Institute in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate and in that order so many candidates as are found by the Institute to be qualified by the examination shall be recommended for inclusion in the Select List for the Upper Division Grade up to the required number except those claiming fee concession under para 5(iii) of the Notice.

Provided that the candidates belonging to any of the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, may, to the extent the number of vacancies reserved for the Scheduled Cistes and Scheduled Tribes cannot be filled on the basis of the general standard be recommended by the Institute by a relaxed standard to make up the deficiency in the reserved quota, subject to the fitness of these candidates, for inclusion in the Select List for the Upped Division Grade, irrespective of their ranks in the order of merit at the examination.

Note.—Candidates should clearly understand that this is a competitive and not a qualifying examination. The number of persons to be included in the Select List for the

Upper Division Grade on the results of the examination is entirely within the competence of Government to decide. No candidate will, therefore, have any claim for inclusion in the Select List on the basis of his performance in this examination, as a matter of right.

- 11. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Institute in its discretion and the Institute will not enter into correspondence with them regarding the result.
- 12 Success in the examination confers no right to selection unless Government are satisfied, after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate is eligible and suitable in all respects for selection.
- 13. A candidate, who after applying for admission to the examination or after appearing at it, resigns his appoint ment in the Railway Board Secretariat Clerical Service, or otherwise quits the Service or severs his connection with it, or whose service, are terminated by his Department or who is appointed to an ex-cadre post or to another Service on 'transfer' and does not have a lien in the Lower Division Grade will not be eligible for appointment on the results of this examination.

This, however, does not apply to a Lower Division Clerk who has been appointed on deputation to an ex-cadre post with the approval of the competent authority.

G. S. THIRUMALAI, Under Secretary, Railway Board

APPENDIX

The examination shall be conducted according to the following plan:

Part I--Written examination carrying a maximum of 300 marks in the subjects as shown in para 2 below

Part II.—Evaluation of record of service of such of the candidates who attained at the written examination a minimum standard as may be fixed by the Institute in their discretion carrying a maximum of 100 marks.

2. The subjects of the written examination in Part I the maximum marks allotted to each paper and the time allowed will be as follows:

Subjects Maximum marks Time allowed (i) Essay and precis-writing 50] }100 (b) Precis-writing 2 hours 50 J (a) Essay (ii) Noting & Drafting and Office Procedure 100 2 hours (iii) General knowledge 100 2 hours

- 3. The syllabus for the examination will be as shown in the attached schedule.
- 4. Candidates are allowed the option to answer the papers in English or in Hindi (Devanagari) subject to the condition that at least one of the papers viz., (i) Essay and Precis Writing, or (ii) Noting and Drafting and Office Procedure, or (iii) General Knowledge must be answered in English.

Note 1.—The option will be for a complete paner and not for different questions in the same paper

Note 2.—Candidates desirous of exercising the option to answer the aforesaid papers in Hindi (Devanigri) or English should indicate their intention to do so clearly in column 5 of the application form; otherwise it would be persumed that they would answer the papers in English

Note 3.—The option once exercised shall be treated as final and no request for alteration in column 5 of the application form shall be entertained.

Note 4.—Question papers will be supplied both in Hindi and English.

- 5. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances will they be allowed the help of a scribe to write the answers for them,
- 6. The Institute have discretion to fix qualifying marks in any or all of the subjects at the examination.
- 7. Marks will not be allotted for mere superficial knowledge.
- 8 Deduction upto 5 per cent of the maximum marks in the written subjects will be made for illegible handwriting.
- ⁹ Credit will be given for orderly, effective and exact expression combined with due economy of words in all subjects of the examination.

SCHEDULE

Syllabus of the Examination

- 1. Essay and Precis Writing:
 - (a) Essay—An essay to be written on one of the several specified subjects.
 - (b) Precis Writing—Passages will usually be set for summary or precis.
- 2. Noting & Drafting and Office Procedure.—The paper on Noting & Drafting and Office Procedure will be designed to test the candidate's knowledge of Office Procedure in the Secretariat and Attached Offices and generally their ability to write and understand notes and drafts. Candidates are required to study the Manual of Office Procedure issued by the Railway Board and the rules of procedure and Conduct of business in the Lok Sabha and the Rajya Sabha for this purpose.

3. General Knowledge.—The paper on General Knowledge will be intended inter alia to test the candidates' knowledge of Irdian Geography as well as the country's administration, as also intelligent awareness of current affairs, both national and international which an educated person may be expected to have. Candidate's answers are expected to show their intelligent understanding of the question and not detailed knowledge of any text books, reports etc.

MINISTRY OF LABOUR

RESOLUTION

New Delhi, the 7th March 1975

No. Q-13012(5)/72-WE.—In pursuance of the recommendations made by the Estimates Committee (Fifth Lok Sabha) in its Fourth Report, the Government of India, Ministry of Labour, constituted, by their Resolution No. Q-13012(5)/72-WE dated the 29th July, 1974, a Committee, known as Workers' Education Review Committee to review the Workers' Education Scheme and to evaluate its impact on workers, trade unions and employers and to make its recommendations to Government within six months. The Government have decided to extend the time limit for submission of the Committee's recommendations upto the 31st July, 1975.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

HANS RAJ CHHABRA, Deputy Secy.

